राज्य में मुस्लिम परिवारों की सरकारी योजनाओं तक पहुंच : एक अध्ययन

Access of Muslim Families to Government Schemes in the State : A Study

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र

राज्य में मुस्लिम परिवारों की सरकारी योजनाओं तक पहुँच : एक अध्ययन

Access of Government of Muslim Families in the State : A Study

Budget Analysis Rajasthan Centre

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र, जयपुर
पी–1, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर (राज.)
फोन / फैक्स : 0141 2385254 ई–मेल : info@barcjaipur.org
वेबसाईट : www.barcjaipur.org

अध्ययन एवं शोध : बार्क टीम

सम्पादन : भूपेन्द्र कौशिक

ग्राफिक्ल डिजाइन : नितेश शर्मा

अध्ययन में सहयोग के लिये राज्य के 6 शहरों में कार्यरत सामाजिक संस्थाओं का आभार, जिनके सहयोग से सर्वे कार्य पूर्ण किया गया।

- आस्था संस्थान, उदयपुर (सर्वे क्षेत्र : उदयपुर)
- एकल नारी शक्ति संगठन, कोटा (सर्वे क्षेत्र : कोटा)
- एन.एम.डब्ल्यु.डब्ल्यु.एस., जयपुर (सर्वे क्षेत्र : जयपुर)
- मारवाड़ महिला कल्याण समिति, जोधपुर (सर्वे क्षेत्र : जोधपुर)
- रेहमनिया बाल एवं महिला कल्याण समिति, अजमेर (सर्वे क्षेत्र : टोंक)
- गरीब नवाज महिला एवं बाल कल्याण समिति, अजमेर (सर्वे क्षेत्र : अजमेर)

इस रिपोर्ट को शोध, अध्ययन एवं प्रशिक्षण हेतु उचित संदर्भ के साथ उपयोग में लिया जा सकता है।

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र ©

प्रथम संस्करण फरवरी 2014

प्रकाशक : बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र

मुद्रक : प्रिंट मिडिया सर्विसेज

निवारू रोड़, झोटवाड़ा, जयपुर – 302012

विषय–सूची

प्रस्तावना

1. सर्वे अध्ययन : एक परिचय
   - मुस्लिम आबादी : परिदृश्य
   - अल्पसंख्यकों पर आधारित अध्ययन एवं सरकारी रिपोर्ट
   - अल्पसंख्यक विकास के सन्दर्भ में सरकारी प्रयास
   - अध्ययन के उद्देश्य
   - अध्ययन पद्धति
   - अध्ययन की सीमाएं

अध्ययन के परिणाम

2. राज्य में मुस्लिम वर्ग : सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति
   - सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति
   - परिवार का आकार
   - शैक्षणिक स्तर
   - रोजगार एवं आय

3. मुस्लिम परिवारों के बच्चे एवं सरकारी योजनाएं
   - 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे
   - 6–14 वर्ष तक की आयु के बच्चे
   - 14–18 वर्ष तक की आयु के बच्चे
   - अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों हेतु छात्रवृति

4. मुस्लिम परिवारों के विकलांग, विधवा एवं वृद्ध सदस्य और सरकारी योजनाएं
   - शारीरिक/मानसिक रुप से विकलांग सदस्य
   - विधवा महिला सदस्य
   - वृद्ध सदस्य

5. मुस्लिम दस्तकार परिवार और सरकारी योजनाएं

6. मुस्लिम परिवारों की स्वास्थ्य से जुड़ी सरकारी योजनाओं तक पहुंच
    - इलाज का स्थान
    - मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना
    - मुख्यमंत्री बी.पी.एल. जीवन रक्षा कोष योजना

7. मुस्लिम परिवारों की सार्वजनिक वितरण प्रणाली तक पहुंच
    - राशन कार्ड की उपलब्धता
    - राशन सामग्री एवं गुणवत्ता

8. मुस्लिम परिवारों का आवासीय स्तर एवं आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता
    - मकान का प्रकार
    - मकान की बनावट श्रेणी
    - मकानों में उपलब्ध सुविधाएं

9. मुस्लिम परिवारों की स्वयं सहायता समूहों में भागीदारी

10. अल्पसंख्यक मामलात विभाग एवं इसके द्वारा संचालित योजनाएं
    - अल्पसंख्यक मामलात विभाग के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी

11. सरकार द्वारा संचालित अन्य योजनाओं के बारे में जानकारी एवं पहुंच

निष्कर्ष

सारांश

तालिका एवं चार्ट (रुपरेखा) की सूची

क्र. सं.	विषय–वस्तु	पृष्ठ संख्या
1	मुस्लिम परिवारों का सामाजिक वर्गीकरण	13
2	सदस्य संख्या के आधार पर मुस्लिम परिवारों का आकार	14
3	मुस्लिम परिवारों में शिक्षा का स्तर	15
4	मुस्लिम परिवारों में आय स्तर	16
5	ईलाज कराने का स्थान	26
6	राशन कार्ड का प्रकार	29
7	मकान का प्रकार	31
8	मकान की बनावट श्रेणी	31

प्रस्तावना

भारतीय संविधान देश के सभी नागरिकों चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, लिंग या क्षेत्र के हों, को समानता का अधिकार देता है। इसके साथ ही संविधान राज्य को सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े समूहों के विकास के लिये विशेष प्रयास करने की इजाजत भी देता है। देश में आर्थिक तथा सामाजिक रूप से कमजोर दलित, आदिवासी एवं धार्मिक अल्पसंख्यक, विशेषकर मुस्लिम समुदाय भी काफी पिछड़ा हुआ है।

वर्ष 2001 के अनुसार राष्ट्र की कुल जनसंख्या में 13.4 प्रतिशत तथा राज्य की कुल जनसंख्या में 8.4 प्रतिशत जनसंख्या, अल्पसंख्यक वर्ग के सबसे बड़े समुदाय, मुस्लिम समुदाय की है। वर्ष 2006 में सच्चर कमेटी ने सर्वप्रथम अपनी रिपार्ट में अल्पसंख्यक समुदाय खासकर मुस्लिम वर्ग की दयनीय स्थिति के आंकड़े बताते हुये केन्द्र एवं राज्य सरकारों का ध्यान अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याण की ओर आकर्षित किया।

केन्द्र सरकार ने 2006 में अल्पसंख्यक मंत्रालय एवं राजस्थान सरकार ने 2009 में अल्पसंख्यक मामलात विभाग का गठन किया। राज्य सरकार द्वारा मुस्लिम समुदाय के कल्याण एवं विकास हेतु समय–समय पर विभिन्न प्रयास किए जाते रहे हैं। राज्य में अल्पसंख्यक कल्याण के लिये अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राज्य हज कमेटी, वक्फ विभाग, मदरसा बोर्ड, राज्य अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक वित एवं विकास निगम एवं राजस्थान वक्फ परिषद जैसी संस्थाएं मुख्य हैं। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग के विकास हेतु संचालित बहुत सी योजनाओं के अलावा प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम तथा बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं।

इस अध्ययन में हमने मुस्लिम परिवारों की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करने तथा राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण के लिये चलाई जा रही योजनाओं की पहुंच के स्तर का अध्ययन करने का प्रारंभिक प्रयास किया है। इस अध्ययन से हमारा ध्येय सरकार एवं जन सामान्य को वर्तमान वस्तु स्थिति से अवगत करवाना तथा अल्पसंख्यक कल्याण हेतु संचालित योजनाओं के परिणामों की जानकारी सरकार एवं आमजन तक पहुंचाना है। इसके अतिरिक्त हमारा प्रयास सरकार को अल्पसंख्यक कल्याण की दिशा में एक रणनीतिक योजना बनाकर कार्य करने की गुजारिश करना भी है।

हम इस अध्ययन में शामिल सभी सहयोगी संस्थाओं एवं मुस्लिम परिवारों का धन्यवाद करते हैं तथा आशा करते हैं कि राज्य सरकार एवं अल्पसंख्यक विभाग हमारे अध्ययन के परिणामों से आगामी आयोजना बनाने एवं क्रियांवयन में सहयोग महसूस करेगा।

बार्क टीम

1. सर्वे अध्ययन : एक परिचय

सर्वविदित है कि भारत एक संवैधानिक राष्ट्र होने के साथ साथ एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भी है एवं इस सन्दर्भ में देश के नागरिकों हेतु धार्मिक स्वतंत्रता को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पारिभाषित किया गया है। प्रस्तावना के अनुसार देश के नागरिकों को किसी भी धर्म को अपनाने एवं उसकी उपासना करने की स्वतंत्रता[1] प्रदान की गई है। गौरतलब है कि संविधान की प्रस्तावना में पंथनिरपेक्षता (धर्मनिरपेक्षता) को वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। विशेषज्ञों के मतानुसार पंथनिरपेक्ष अथवा धर्मनिरपेक्ष राज्य, धर्म के सभी भेदभावों से ऊपर उठकर, अपने सभी नागरिकों के धार्मिक विश्वासों एवं व्यवहारों की ओर ध्यान दिए बिना, सर्वोत्तम कल्याण सुनिश्चित किए जाने का प्रयास करता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि हमारे देश में सभी धर्मों को समान महत्त्व दिया गया है जिससे यहां पर विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग धर्म एवं संस्कृति पायी जाती है। जिनमें कुछ क्षेत्र विशेष में धर्म, भाषा, संस्कृति को अपनाने वाले लोगों की संख्या के आधार पर बहुसंख्यक एवं अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाता है। अगर यहां पर धर्म आधारित अल्पसंख्यक वर्ग की बात की जाए तो देश में हिन्दू धर्म जो कि बहुसंख्यक वर्ग है, के अलावा सभी धर्मों के लोग अल्पसंख्यक वर्ग में शामिल हैं जिनमें मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन आदि प्रमुख हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के अनुच्छेद 2 (सी) के अनुसार मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौद्ध एवं पारसियों को अल्पसंख्यक वर्ग में शामिल किया गया है। 2001 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में 18.4 प्रतिशत अल्पसंख्यक वर्ग शामिल हैं जिनमें मुस्लिम 13.4 प्रतिशत, ईसाई 2.3 प्रतिशत, सिक्ख 1.9 प्रतिशत, बौद्ध 0.8 प्रतिशत एवं पारसी 0.007 प्रतिशत हैं। अतः देश में धर्म आधारित जनसंख्या के मामले में हिन्दू धर्मावलम्बियों के बाद दूसरा स्थान मुस्लिम वर्ग समुदाय का आता है जो कि देश के साथ साथ राज्य का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक वर्ग है। भारत के सन्दर्भ में इतिहास से लेकर वर्तमान में राजनैतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास के क्षेत्र में मुस्लिम वर्ग का असीम योगदान रहा है।

- **मुस्लिम आबादी : परिदृश्य**

वर्ष 2001 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार देश में कुल जनसंख्या (102.86 करोड़) का 13.4 प्रतिशत हिस्सा तथा राज्य की कुल जनसंख्या 5.65 करोड़ में करीब 8.4 प्रतिशत हिस्सा मुस्लिम समुदाय से आता है। जिनमें देश की 28.61 करोड़ शहरी

[1] Page no.43, Indian Constitution by Subhash Kashyap.

जनसंख्या में से करीब 75.6 प्रतिशत हिन्दू, 17.3 प्रतिशत मुस्लिम एवं 7.1 प्रतिशत अन्य धर्मों के लोग शामिल हैं जबकि देश की 74.25 करोड़ ग्रामीण जनसंख्या में से करीब 82.3 प्रतिशत जनसंख्या हिन्दू, 12 प्रतिशत मुस्लिम एवं 5.7 प्रतिशत अन्य धर्मों के लोग शामिल हैं। सच्चर कमेटी की रिपार्ट से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2001 की जनसंख्या के आधार पर मुस्लिम वर्ग की कुल जनसंख्या में 35.7 प्रतिशत लोग शहरी क्षेत्रों में निवास कर रहें हैं जबकि शेष 64.3 प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहे हैं। मुसलमानों में साक्षरता दर के राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर औसत आंकडे क्रमशः 64.8 प्रतिशत एवं 60.4 प्रतिशत की तुलना में 59.1 प्रतिशत एवं 56.7 प्रतिशत हैं। महिला साक्षरता के मामले में तो यह आंकड़ा और अधिक नीचे गिरकर 53.4 प्रतिशत एवं 43.9 प्रतिशत की तुलना में क्रमशः 50.1 प्रतिशत एवं 40.8 प्रतिशत तक आ जाता है। इसी प्रकार लिंग अनुपात के मामले में भी मुस्लिम वर्ग पिछड़ा हुआ कहा जा सकता है क्योंकि लिंग अनुपात के आंकड़े सकल रुप से 933 (राष्ट्रीय स्तर पर) एवं 921 (राज्य स्तर पर) की तुलना में मुस्लिम परिवारों में यह आंकड़ा 936(राष्ट्रीय स्तर पर) एवं 929 (राज्य स्तर पर) है।

- **अल्पसंख्यकों पर आधारित अध्ययन एवं सरकारी रिपोर्ट :**

जैसा कि ऊपर बताया गया है कि अल्पसंख्यकों के कल्याण को लेकर सरकार अपने स्तर पर समय समय पर विभिन्न प्रयास करती रही है जिसके अन्तर्गत अल्पसंख्यक आयोग का गठन, संबंधित विभागों की स्थापना, कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, सर्वे आधारित रिपोर्ट जारी करना आदि शामिल है। सरकार द्वारा समय समय पर अल्पसंख्यकों पर आधारित सर्वे अध्ययन किए जाते हैं बाद में इन अध्ययन पर आधारित रिपार्ट का प्रकाशन किया जाता है। इस सन्दर्भ में मार्च 2005 में न्यायमूर्ति राजिन्दर सच्चर की अध्यक्षता में गठित सच्चर समिति द्वारा जारी रिपार्ट प्रमुख है जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है।

सच्चर समिति रिपोर्ट : प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा भारत के मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति पर रिपोर्ट बनाने के लिए 9 मार्च 2005 को न्यायमूर्ति राजिन्दर सच्चर की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति के गठन की अधिसूचना जारी की गई थी। समिति द्वारा 17 नवंबर 2006 को इसकी रिपार्ट पेश की गई जिसमें देश में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति पर आधारित विस्तृत आंकड़ें पेश किए गये। इस रिपार्ट में यह स्वीकार किया गया कि देश में मुस्लिम वर्ग की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिणिक स्थिति खराब है जिनमें सुधार किए जाने की आवश्यकता है। इस सन्दर्भ में रिपार्ट में प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर समिति द्वारा मुस्लिम वर्ग के कल्याण हेतु कुछ सिफारिशें भी प्रस्तुत की गई जिनमें कुछ प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं :

- ➢ राष्ट्रीय आंकड़ा बैंक बनाया जाए, जहां विभिन्न सामाजिक–धार्मिक श्रेणियों से संबंधित सभी आंकड़ें उपलब्ध हो सकें।

- स्वतंत्र निर्धारण एवं निर्देशन प्राधिकरण बनाया जाना चाहिए जो विभिन्न कार्यक्रमों के विकास के लाभ किस हद तक विभिन्न सामाजिक धार्मिक श्रेणियों तक पहुंच सके हैं, इस बात की समीक्षा कर सके।
- विकास प्रक्रिया में समाज की बेहतर भागीदारी एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में समानता लाने के लिए कानूनी विधानों को अधिक मजबूत बनाया जाना चाहिए।
- अल्पसंख्यकों की समस्याओं के निवारण हेतु राज्य की ओर से विशेष प्रयास किए जाने चाहिए।
- सरकार द्वारा एक समान अवसर आयोग का गठन किया जाना चाहिए जो वंचित समूहों की शिकायतों पर गौर कर सके।
- सीमा स्थिरीकरण योजनाओं के अंतर्गत आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में अव्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए।
- संबंधित अधिकारियों को विविधता की जरुरत और सामाजिक पृथकीकरण से संबंधित समस्याओं के प्रति संवेदनशील होना पड़ेगा।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को ऐसी व्यवस्था विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जहां कॉलेज एवं विश्वविद्यालयों को दिए जाने वाले आवंटन का हिस्सा विद्यार्थीयों की जनसंख्या में विविधता से जुड़ा हो।
- सभी सामाजिक–धार्मिक श्रेणियों में सबसे पिछड़े वर्ग का नियमित विद्यालयों और स्वतंत्र कॉलेजों में दाखिले को बढ़ावा देने के लिए, वैकल्पिक प्रवेश प्रक्रिया को विकसित करने की जरुरत है।
- अल्पसंख्यकों में से विद्यार्थियों को छात्रावास की सुविधाएं उचित कीमत पर प्राथमिकता के आधार पर दी जानी चाहिए।
- अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को मातृ भाषा में शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से उर्दू माध्यम के विद्यालय चलाए जाने चाहिए।
- मदरसों को उच्च स्तर के शैक्षणिक संस्थानों से जोड़ने की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- मदरसों की डिग्री को प्रतियोगी परीक्षा में मान्यता प्रदान की जानी चाहिए।
- मुस्लिम परिवारों की नियमित वाणिज्यिक बैंकों के व्यापार में हिस्सा और भागीदारी बढ़ाई जानी चाहिए।
- जिन रोजगारों से मुस्लिम परिवार अधिक जुड़े हैं और उनमें विकास की क्षमता है, उनसे जुड़े वित्तीय एवं सहायक कदम उठाये जाने चाहिए।

समिति द्वारा जारी रिपार्ट एवं सिफारिशों को आधार मानते हुए सरकार मुस्लिम परिवारों की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति को सुधारने का लगातार प्रयत्न कर रही है। इसके लिए सरकार इन परिवारों के विकास हेतु विभिन्न योजनाओं के माध्यम से वित्तीय सहायता जारी करती है। चूंकि राष्ट्रीय स्तर पर सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों पर आधारित सर्वे समय समय पर किए जाते रहें हैं लेकिन राज्य पर इस सन्दर्भ में सरकारी प्रयासों में अभी तक ज्यादा क्रियाशीलता दिखाई नहीं दे रही है। जिससे राज्य स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग विशेषकर मुस्लिम परिवारों की सामाजिक, आर्थिक एवं

शैक्षणिक परिस्थितियों के बारे में उचित जानकारी का अभाव है। इस सन्दर्भ में बजट अध्ययन राजथान केन्द्र, जयपुर द्वारा राज्य में मुस्लिम परिवारों की सरकारी योजनाओं तक पहुंच विषय आधारित एक सर्वे अध्ययन किया गया जिससे प्राप्त परिणामों के आधार पर इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया है। सर्वे के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया गया है कि सरकार द्वारा संचालित की जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ देश के दूसरे बड़े धार्मिक समुदाय एवं सबसे बड़े अल्पसंख्यक वर्ग मुस्लिम समुदाय के परिवारों तक समुचित रुप से पहुंच पा रहा है अथवा नहीं।

- **अल्पसंख्यक विकास के सन्दर्भ में सरकारी प्रयास** : सरकार द्वारा मुस्लिम समुदाय के कल्याण एवं विकास हेतु समय–समय पर विभिन्न प्रयास किए जाते रहें हैं। इस सन्दर्भ में सरकार द्वारा केन्द्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक मामलात मंत्रालय एवं राज्य स्तर पर अल्पसंख्यक मामलात विभाग का गठन किया गया है। सरकार द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग के विकास हेतु संचालित बहुत सी योजनाओं के अलावा प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम तथा बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम चलाए जाते रहें हैं।

अल्पसंख्यक मामलात मंत्रालय : देश में अल्पसंख्यकों के विकास पर आधारित विषयों के अलावा नीतिगत योजनाओं के क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन हेतु अल्पसंख्यक मामलात मंत्रालय का गठन 29 जनवरी 2006 को किया गया था। मंत्रालय के गठन काउद्देश्य अल्पसंख्यक वर्ग का सशक्तिकरण, इनके आर्थिक एवं सामाजिक विकास के साथ–साथ शिक्षा, रोजगार एवं आर्थिक क्रियाकलापों में समान भागीदारी को बढ़ावा देने हेतु प्रोत्साहन करना रखा गया है।

अल्पसंख्यक मामलात विभाग : केन्द्र सरकार की तर्ज पर राज्य सरकार द्वारा भी अपने स्तर पर राज्य के अल्पसंख्यकों के विकास से जुड़े विषयों एवं सरकारी नीतियों के साथ–साथ योजनाओं के उचित क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन हेतु अल्पसंख्यक मामलात विभाग का गठन 09 दिसम्बर 2009 को किया गया। विभाग के गठन का उद्देश्य राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय का कल्याण एवं विकास सुनिश्चित करना, इस वर्ग के पिछड़े लोगों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ना एवं इन लोगों को शिक्षा, रोजगार एवं आर्थिक क्रियाकलापों में समान भागीदारी को बढ़ावा देने हेतु प्रोत्साहन करना रखा गया है।

प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम : दिनांक 25 फरवरी 2005 को संसद के संयुक्त सत्र में इस कार्यक्रम के बारे में माननीय राष्ट्रपति द्वारा घोषणा की गई थी। इसके बाद इस सन्दर्भ में 15 अगस्त 2005 को तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा घोषणा की गई जबकि अक्टूबर 2009 में कार्यक्रम का संशोधित प्रारुप पेश किया गया। इस कार्यक्रम के अंर्तगत विभिन्न उद्देश्यों के अनुरुप 15 विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन किया जाना तय किया गया है जो कि इस प्रकार हैं :

- **शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा देना** : (1) एकीकृत बाल विकास सेवाओं की समुचित उपलब्धता। (2) विद्यालयी शिक्षा की उपलब्धता को सुधारना। (3) उर्दू शिक्षण के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध करवाया जाना (4) मदरसा शिक्षा का आधुनिकीकरण करना (5) अल्पसंख्यक वर्गों के मेधावी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृति (6) मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान के माध्यम में शैक्षिक अवसंरचना को उन्नत करना।
- **आर्थिक कार्यकलापों एवं रोजगार में समुचित हिस्सेदारी** : (7) गरीबों के लिए स्वरोजगार तथा मजदूरी रोजगार योजना (8) तकनीकी शिक्षा के माध्यम से कौशल उन्नयन (9) आर्थिक क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के लिए ऋण सहायता प्रदान करना (10) राज्य एवं केन्द्रीय सेवाओं में भर्ती।
- **अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों के जीवन स्तर की दशा में सुधार करना** : (11) ग्रामीण आवास योजना में उचित हिस्सेदारी (12) अल्पसंख्यक वर्गों वाली मलिन बस्तियों की स्थिति में सुधार।
- **सांप्रदायिक दंगों की रोकथाम एवं नियंत्रण** : (13) सांप्रदायिक घटनाओं की रोकथाम (14) सांप्रदायिक अपराधों के लिए अभियोजन (15) सांप्रदायिक दंगों के पीड़ितों का पुनर्वास।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत उपरोक्त योजनाओं के अलावा यह भी सिफारिश की गई है कि जहां कहीं भी संभव हो विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत व्यय राशि का 15 प्रतिशत हिस्सा अल्पसंख्यकों के लिए निर्धारित किया जाए। केन्द्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को इस कार्यक्रम का नोडल मंत्रालय निर्धारित किया गया है। कार्यक्रम के प्रारुप के अनुसार इसके क्रियान्वयन, निगरानी एवं रिपार्टिंग हेतु विभिन्न स्तरों पर अलग अलग व्यवस्था की गई है। इसके अलावा राज्य/संघ शासित क्षेत्र स्तर पर राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा जबकि कार्यक्रम के क्रियान्वयन की प्रगति की निगरानी सचिव स्तरीय समिति करेगी और अपनी रिपार्ट केन्द्रीय मंत्रीमंडल को प्रस्तुत करेगी। अंत में इस कार्यक्रम के लिए एक पुनरीक्षा समिति गठित होगी जिसका प्रमुख अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का सचिव होगा।

बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम :

यह एक विशेष क्षेत्रीय योजना के रुप में केन्द्र सरकार द्वारा लागू किया गया कार्यक्रम है जिसे अल्पसंख्यक वर्ग बाहुल्य क्षेत्रों में आवश्यक विकास की कमी को दूर करने हेतु प्रारम्भ किया गया है। कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन से जुड़ी मूलभूत जरुरतों को पूरी कर इन लोगों का जीवन स्तर सुधारना है। कार्यक्रम के तहत अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों में आवश्यक

विद्यालयी शिक्षा, स्वच्छता, पक्के मकान, साफ पेयजल, विद्युत आपूर्ति के अलावा आय प्राप्ति हेतु संसाधनों में वृद्धि को प्रोत्साहित किया जाता है।

इस कार्यक्रम के तहत विकासात्मक घाटे को आधार मानकर देश के 90 जिलों को अल्पसंख्यक गहन जिले (Minorities Concentration Districts-MCDs) के रुप में चिन्हित कर एक बेसलाईन सर्वे करवाया गया। वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर इन जिलों में अल्पसंख्यक वर्ग बहुतायत से हैं (सर्वे के प्रावधानों के अनुसार इन जिलों की कुल जनसंख्या में अल्पसंख्यक लोग कम से कम 25 प्रतिशत अथवा 20 से 25 प्रतिशत के बीच हों लेकिन कुल अल्पसंख्यक जनसंख्या 5 लाख से अधिक हो) लेकिन ये लोग सामाजिक–आर्थिक रुप से पिछड़े हैं। इन लोगों के पिछड़ेपन को दो आधार पर मापा गया जिनमें पहला सामाजिक–आर्थिक पैरामीटर जिसमें महिला–पुरुष साक्षरता दर, महिला–पुरुष कार्य सहभागिता दर शामिल है और दूसरा आवश्यक मूलभूत सुविधाएं जिनमें पक्के मकान, स्वच्छ पेयजल, विद्युत उपलब्धता एवं पक्के शौचालयों की उपलब्धता शामिल है। सर्वे से प्राप्त परिणामों की राष्ट्रीय स्तर के आंकड़ों से तुलना की गई। सर्वे से प्राप्त परिणामों के आधार पर 90 जिलों को दो वर्गों में विभक्त किया गया। यदि प्राप्त परिणाम दोनों मापदंड़ों (सामाजिक–आर्थिक एवं आवश्यक मुलभूत सुविधाओं) में राष्ट्रीय औसत से कम हैं तो ए वर्ग में शामिल किया जायेगा जिसमें 53 जिले पाये गये। एवं यदि दोनों में से किसी एक में राष्ट्रीय औसत से कम है तो बी वर्ग शामिल किया जायेगा में, जिसमें 37 जिले पाये गये। लेकिन सर्वे में शामिल 90 जिलों में से राजस्थान का एक भी जिला इस सूची में शामिल नहीं किया गया।

अतः सर्वे से प्राप्त परिणामों के आधार पर जिलों में जिस मापदंड के तहत पर्याप्त विकास का अभाव पाया गया वहां पर विकास कार्यों पर अधिक जोर दिया गया जिसके लिए उन्हे केन्द्र सरकार की ओर से शत प्रतिशत बतौर सहायता राशि अतिरिक्त आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती रही है। इस संदर्भ में पूर्व में किए गये प्रयासों में सकारात्मक परिणाम मिलने के बाद प्राप्त जानकारी के अनुसार केन्द्र सरकार ने इसे ब्लॉक या शहरी स्तर पर लागू करने का फैसला किया है। इसके लिए देश के 251 शहरों (श्रेणी–I एवं II), जिनमें कुल जनसंख्या में से 25 प्रतिशत हिस्सा अल्पसंख्यक वर्ग से आता है, को शामिल किया है। इन शहरों में राजस्थान के 7 जिलों में से 15 शहर शामिल किए गये हैं जिनमें जिलेवार शहर संख्या चुरु (5), नागौर (3), झुंझुनु (2), सीकर (2), सवाई माधोपुर (1), टोंक (1) एवं चितौड़गढ़ (1) शामिल किए गये हैं।

अतः कहा जा सकता है कि देश में सरकार द्वारा केन्द्र एवं राज्य स्तर पर, अल्पसंख्यकों के विकास हेतु विभिन्न प्रयास किए गये हैं। इन सरकारी प्रयासों के

कारण वर्तमान में इन वर्गों के लोगों के जीवन स्तर में धीरे धीरे सुधार होता दिखाई दे रहा है। अन्य शब्दों में, सरकार देश एवं राज्य स्तर पर यहां के नागरिकों में किसी प्रकार का धार्मिक भेदभाव न करते हुए सामूहिक रुप से उनके राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु प्रतिबद्ध हैं तथा इसके लिए सरकार सकारात्मक रुप से प्रयासरत रहती है। अल्पसंख्यकों के विकास हेतु सरकार द्वारा प्रतिवर्ष विभिन्न उद्देश्य के अनुरुप विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाएं बनाई जाती हैं एवं उनके उचित रुप से क्रियान्वयन हेतु प्रशासकीय ढांचा तैयार किया जाता है। तत्पश्चात इन योजनाओं का लाभ राज्य के हरेक वांछित वर्ग तक पहुंचाने का हरसंभव प्रयास किया जाता है।

इसमें कोई शक नहीं कि वर्तमान में बहुत से लोग इन कल्याणकारी योजनाओं से केवल लाभान्वित ही नही हो रहें हैं बल्कि सरकार द्वारा चलाई जा रही अनेक बड़ी योजनाओं से इनके जीवन स्तर में भी सुधार हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ समाज में आज भी एक बड़ा तबका विद्यमान है जो कि सरकार द्वारा संचालित की जा रही इन कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच से दूर है। लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ न पहुंच पाने के पीछे कई कारण हैं जिनमें निरक्षरता, जागरुकता का अभाव, सरकारी ढांचे में व्याप्त खामियां एवं उचित क्रियान्वयन का अभाव आदि प्रमुख हैं।

अतः उपरोक्त वर्णित जनसंख्या पर आधारित आंकड़ों के अनुसार यह माना जा सकता है कि देश का दूसरा बड़ा धार्मिक समुदाय एवं सबसे बड़ा अल्पसंख्यक वर्ग सामाजिक रुप से पिछड़ा हुआ है जिसके उत्थान लिए सरकारी योजनाओं के द्वारा उस वर्ग को सामाजिक एवं आर्थिक रुप से संबल प्रदान किया जाना जरुरी है। लेकिन जैसा कि पूर्व में भी बताया जा चुका है कि सरकारी योजनाओं के क्रियान्यवयन में अनेक खामियां व्याप्त होने के कारण समाज का एक बड़ा वर्ग इन योजनाओं के लाभ से वंचित है। अतः यह अध्ययन किए जाने की जरुरत है कि सामाजिक रुप से पिछड़े मुस्लिम परिवार इन योजनाओं से आखिर किस स्तर पर वंचित हैं और योजनाओं के क्रियान्वयन में किस स्तर पर सुधार की आवश्यकता है ? राज्य के सन्दर्भ में मुस्लिम परिवारों की सरकारी योजनाओं तक पहुंच के बारे में जानने के लिए बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र द्वारा सर्वे अध्ययन किया गया जिससे प्राप्त परिणामों के आधार पर यह रिपार्ट प्रस्तुत की जा रही है। सर्वे अध्ययन के बारे में संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है :

- **अध्ययन के उद्धेश्य** : यह सर्वे अध्ययन निम्न उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया गया है।
    - ➢ राज्य में मुस्लिम परिवारों की सामाजिक–आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करना।

- ➢ राज्य में मुस्लिम परिवारों हेतु चलाई जा रही विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं की वांछित वर्ग तक पहुंच के बारे में अध्ययन करना।
- ➢ मुस्लिम परिवारों के कल्याण हेतु अल्पसंख्यक मामलात विभाग सहित अन्य सरकारी विभागों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी, इन योजनाओं से लाभ एवं योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं के बारे में जानकारी एकत्रित करना।

- **अध्ययन की पद्धति** : सर्वे अध्ययन हेतु प्रश्नावली आधारित प्रणाली अपनाई गई जिसके लिए उपरोक्त वर्णित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर एक प्रश्नावली तैयार की गई। इस प्रश्नावली में परिवार के सभी आयु वर्ग के सदस्यों हेतु सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं के विषय में सवालों को शामिल किया गया।
    - ➢ तैयार प्रश्नावली को राज्य के विभिन्न 6 शहरों (अजमेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, टोंक एवं उदयपुर) में कार्यरत स्थानीय संस्थाओं के माध्यम से 308 मुस्लिम परिवारों (प्रति शहर करीब 50–52 परिवार) से प्राप्त जानकारी के अनुसार भरवाया गया। सर्वे अध्ययन में शामिल 6 शहरों को वहां के शहरी ईलाकों में मुस्लिम परिवारों की बाहुल्यता एवं विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर शामिल किया गया। तत्पश्चात सर्वे से प्राप्त आंकड़ों को कम्प्यूटरीकृत कर उनका विश्लेषण किया गया।

- **अध्ययन की सीमाएं** : सर्वे अध्ययन के दौरान निम्न सीमाएं तय की गई हैं जिनके आधार पर कुछ तथ्यों के परिणामों में अथवा विस्तृत स्तर पर किये गये अध्ययन परिणामों में विसंगति पायी जा सकती है लेकिन हरेक स्तर पर इन सीमाओं को कम किए जाने का यथासंभव प्रयास किया गया है :
    - ➢ यह अध्ययन एक छोटे नमूने, जो कि राज्य के 6 शहरों के चुने गये 308 परिवारों से एकत्रित आंकड़ों पर आधारित है।
    - ➢ सर्वे हेतु प्रत्येक शहर से चुने हुए 4–5 ईलाकों से औसतन 10–15 परिवारों को शामिल किया गया जिससे पूरे शहर में फैले मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों को शामिल नहीं किया जा सका।
    - ➢ अध्ययन में केवल शहरी मुस्लिम परिवारों को शामिल किया गया है, ग्रामीण परिवारों को नहीं।

- रिपोर्ट तैयार किए जाने तक जनगणना 2011 के धार्मिक आधार पर सरकारी आंकड़े जारी नहीं हो पाने के कारण वर्ष 2001 जनगणना के धार्मिक आंकड़ों का उपयोग किया गया है।

अंत में, जैसा कि ऊपर बताया गया है सर्वे अध्ययन में राज्य के 308 शहरी मुस्लिम परिवारों को शामिल किया गया है जो कि राज्य में मुस्लिम जनसंख्या के लिहाज से बहुत कम आंकड़ा है। लेकिन इस सर्वे अध्ययन के माध्यम से एक सीमित स्तर पर यह जानने का प्रयास किया गया है कि राज्य के 6 बड़े शहरों, जहां पर मुस्लिम परिवारों की तादाद अच्छी खासी है, वहां लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है अथवा नहीं। जबकि ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े परिवारों, जिनका जीवन स्तर शहरी परिवारों की तुलना में और अधिक निचले पायदान पर है, वहां पर इन योजनाओं के लाभान्वितों का अंदाजा, शहरी क्षेत्रों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर लगाया जाना कुछ हद तक संभव है।

अध्ययन के परिणाम

2. राज्य में मुस्लिम वर्ग : सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति

जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है कि न केवल राष्ट्रीय स्तर पर अपितु राज्य स्तर पर भी मुस्लिम वर्ग दूसरा बड़ा धार्मिक समुदाय एवं सबसे बड़ा अल्पसंख्यक वर्ग है। वर्ष 2001 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार देश में कुल जनसंख्या का 13.4 प्रतिशत हिस्सा जबकि राज्य की कुल जनसंख्या में करीब 8.4 प्रतिशत हिस्सा मुस्लिम परिवारों से आता है। अतः इन परिवारों में व्याप्त पिछड़ेपन को लेकर न सिर्फ विस्तृत चर्चा किए जाने की जरुरत है अपितु उनके निदान हेतु हरसंभव प्रयास किए जाने की भी जरुरत है।

सर्वे अध्ययन के दौरान शामिल परिवारों के आधार पर राज्य के शहरी क्षेत्रों के मुस्लिम परिवारों की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक परिस्थितियों के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास किया गया। जिसके आधार पर प्राप्त परिणाम इस प्रकार हैं :

- **सामाजिक स्थिति** : इस जानकारी के आधार पर यह जानने का प्रयास किया गया कि इन परिवारों का सामाजिक वर्गीकरण किस प्रकार है अर्थात कितने परिवार सामान्य वर्ग श्रेणी में शामिल हैं और कितने परिवार अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल हैं। सर्वे से प्राप्त परिणाम इस प्रकार हैं :

सारणी संख्या 1 : मुस्लिम परिवारों का सामाजिक वर्गीकरण

शहर का नाम	सामान्य वर्ग	अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)	कुल
अजमेर	28 (54.90)	23 (45.10)	51 (100)
जयपुर	47 (94.00)	03 (6.0)	50 (100)
जोधपुर	47 (83.93)	09 (16.07)	56 (100)
कोटा	09 (17.65)	42 (82.35)	51 (100)
टोंक	42 (84.00)	08 (16.0)	50 (100)
उदयपुर	50 (100)	00 (0.0)	50 (100)
कुल योग	223 (72.40)	85 (27.60)	308 (100)

स्रोत : बार्क सर्वे (कोष्ठक में कुल परिवारों का प्रतिशत दर्शाया गया है)

सारणी सं. 1 के अनुसार कुल परिवारों में से करीब 72.4 प्रतिशत परिवार सामान्य श्रेणी वर्ग के पाये गये शेष 27.6 प्रतिशत परिवार अन्य पिछड़ा वर्ग से लिए गये। जबकि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट[2] के अनुसार वर्ष 2004–05 में राजस्थान में शहरी क्षेत्रों में कुल मुस्लिम परिवारों में करीब 56.7 प्रतिशत परिवार सामान्य श्रेणी वर्ग के एवं 43.3 प्रतिशत परिवार अन्य पिछड़ा वर्ग के थे।

[2] Page No. 266, Social, Economic and Educational of the Muslim Community of India, Sachar Committee Report, Nov. 2006.

- **परिवार का आकार** : सर्वे अध्ययन के दौरान इस सवाल के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया गया कि इन परिवारों में सदस्यों की औसतन संख्या कितनी है एवं संख्या के आधार पर इन परिवारों को किस श्रेणी में बांटा जा सकता है यथा छोटा परिवार, मध्यम परिवार अथवा वृहद परिवार ?

सारणी संख्या 2 : सदस्य संख्या के आधार पर मुस्लिम परिवारों का आकार

	परिवार में कुल सदस्यों की संख्या				
शहर	3 या इससे कम	4–6	7–9	9से ज्यादा	परिवारों की कुल संख्या
अजमेर	8 (15.7)	36 (70.6)	5 (9.8)	2 (3.9)	51 (100)
जयपुर	8 (16.0)	29 (58.0)	11 (22.0)	2 (4.0)	50 (100)
जोधपुर	5 (8.9)	25 (44.6)	21 (37.5)	5 (8.9)	56 (100)
कोटा	9 (17.6)	31 (60.8)	8 (15.7)	3 (5.9)	51 (100)
टोंक	8 (16.0)	35 (70.0)	7 (14.0)	0 (0.0)	50 (100)
उदयपुर	20 (40.0)	27 (54.0)	3 (6.0)	0 (0.0)	50 (100)
कुल योग	58 (18.8)	183 (59.4)	55 (17.9)	12 (3.9)	308 (100)

स्त्रोत : बार्क सर्वे (कोष्ठक में कुल परिवारों का प्रतिशत दर्शाया गया है)

सारणी सं. 2 के अनुसार सर्वाधिक 59.4 प्रतिशत परिवार मध्यम आकार के पाये गये जिनमें सदस्य संख्या 4 से 6 बीच है जिसमें भी यह आंकड़ा अजमेर में सर्वाधिक 70.6 प्रतिशत पाया गया। इसके बाद करीब 17.9 प्रतिशत परिवार वृहद आकार के पाये गये जिनमें सदस्य संख्या 7 से 9 के बीच पाई गई। जोधपुर में सर्वाधिक 37.5 प्रतिशत परिवार 7 से 9 सदस्यों वाले एवं करीब 8.9 प्रतिशत परिवारों में 9 से अधिक सदस्य पाये गये। प्राप्त परिणामों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि राज्य के इन चुने हुए शहरी ईलाकों में 78.2 प्रतिशत परिवारों में कुल सदस्य संख्या 6 अथवा कम पाई गई। औसतन आधार पर बात की जाये तो इन परिवारों में प्रति परिवार औसतन सदस्य संख्या 5.12 पाई गई जो कि मध्यम आकार वाले परिवार में बताया जा सकता है।

- **शैक्षणिक स्तर** : जनगणना के आंकड़ों के अनुसार साक्षरता दर के मामले में भी मुस्लिम परिवारों को काफी पिछड़ा हुआ माना गया है। जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि वर्ष 2001 के आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर क्रमशः 64.8 प्रतिशत एवं 60.4 प्रतिशत साक्षरता दर की तुलना में इस समुदाय में शिक्षा का स्तर 59.1 प्रतिशत एवं 56.7 प्रतिशत पाया गया जो कि शिक्षा के मामले में इस वर्ग के पिछड़ेपन का सूचक है।

सर्वे अध्ययन के दौरान इसमें शामिल राज्य के मुस्लिम परिवारों के शैक्षणिक स्तर के बारे में जानकारी जुटाई गई जिससे प्राप्त परिणाम इस प्रकार हैं :

सारणी संख्या 3 : मुस्लिम परिवारों में शिक्षा का स्तर (प्रतिशत में)

शहर	निरक्षर	प्राथमिक स्तर तक	उच्च प्राथमिक स्तर तक	माध्यमिक स्तर तक	उच्च माध्यमिक स्तर तक	स्नातक और उच्च शिक्षा
अजमेर	1.9	45.1	22.8	17.2	7.0	6.0
जयपुर	7.5	33.3	29.3	19.0	5.4	5.4
जोधपुर	7.6	45.5	18.5	17.1	5.7	5.7
कोटा	0.0	33.6	29.9	20.4	7.1	9.0
टोंक	0.0	29.3	19.0	21.8	12.9	17.0
उदयपुर	18.5	29.2	29.2	17.7	4.6	0.8
कुल योग	5.2	37.1	24.5	18.8	7.1	7.4

स्त्रोत : बार्क सर्वे

सारणी सं. 3 से प्राप्त परिणामों के अनुसार सर्वाधिक 37.1 प्रतिशत परिवार प्राथमिक स्तर तक शिक्षित पाये गये जबकि करीब 5.2 प्रतिशत परिवारों में निरक्षरता पाई गई। सर्वाधिक निरक्षरता उदयपुर शहर के परिवारों में 18.5 प्रतिशत पाई गई। इसके बाद करीब 24.5 प्रतिशत परिवार उच्च प्राथमिक स्तर तक शिक्षित पाये गये तथा करीब 18.8 प्रतिशत परिवार माध्यमिक स्तर तक। इन परिवारों में 7.4 प्रतिशत परिवारों के सदस्य स्नातक अथवा इससे उच्च स्तर तक शिक्षित पाये गये जिनमें टोंक में सर्वाधिक 17 प्रतिशत परिवारों के सदस्य पाये गये।

- **रोजगार एवं आय** : सर्वे अध्ययन के माध्यम से इन मुस्लिम परिवारों के सदस्यों में व्याप्त बेरोजगारी के अलावा इन परिवारों में चल रहे रोजगार का प्रकार एवं उस रोजगार से प्राप्त मासिक आय के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास किया गया जिससे प्राप्त परिणाम इस प्रकार हैं :
  - इन परिवारों में 18 वर्ष से अधिक आयु वाले सदस्यों में से करीब 1.1 प्रतिशत सदस्य पूर्ण रुप से बेरोजगार पाये गये जिनमें सर्वाधिक 4.3 प्रतिशत सदस्य उदयपुर में बेरोजगार पाये गये।
  - करीब 8.6 प्रतिशत परिवारों में कम से कम एक सदस्य सरकारी सेवा में कार्यरत बताया जिसमें सर्वाधिक रुप से यह आंकड़ा जोधपुर में 19.6 प्रतिशत पाया गया।
  - करीब 4.3 प्रतिशत परिवारों में कम से कम एक सदस्य प्राईवेट नौकरी में कार्यरत एवं 8.6 प्रतिशत परिवारों में कम से कम एक सदस्य स्वयं के व्यवसाय

में संलग्न होना बताया। टोंक में सर्वाधिक 12.8 प्रतिशत परिवारों में कम से कम एक सदस्य प्राईवेट नौकरी में जबकि जोधपुर में 19.6 प्रतिशत परिवारों में स्वयं का व्यवसाय होना बताया।

- इस समुदाय का एक बहुत बड़ा तबका (करीब 82.7 प्रतिशत) अन्य कार्यों मे लगा हुआ है जिनमें साईकल रिक्शा/ऑटो रिक्शा चालक, प्राईवेट बस चालक/परिचालक, फुटपाथ विक्रेता, मजदूरी के अलावा दस्तकारी एवं हस्तकला (मीनाकारी, कशीदाकारी, सजावट आदि) से जुड़े कार्यों में संलग्न है। जिनमें इनकी आय बहुत कम होने के साथ ना ही तो नियमित है और न ही इनकी मेहनत के अनुरुप पर्याप्त है। जयपुर जैसे बड़े शहर में तो यह आंकड़ा और भी ज्यादा है।
- **आय स्तर :** अब अगर इन परिवारों के आय स्तर के बारे में अध्ययन किया जाये तो सारणी सं. 4 के अनुसार परिणाम प्राप्त होते हैं :

सारणी संख्या 4 : मुस्लिम परिवारों में आय स्तर (प्रतिशत में)

	मसिक आय स्तर (रु. में)				
शहर	1500 रु. या इससे कम	1501—3000 रु.	3001—4500 रु.	4501—6000 रु.	6000 रु. से अधिक
अजमेर	11.76	11.76	9.80	13.73	52.94
जयपुर	8.0	18.0	32.0	14.0	28.0
जोधपुर	8.93	19.64	14.29	21.43	35.71
कोटा	13.73	23.53	15.69	7.84	39.22
टोंक	16.0	24.0	8.0	12.0	40.0
उदयपुर	2.0	8.0	32.0	14.0	44
कुल योग	10.06	17.53	18.51	13.96	39.94

स्त्रोत : बार्क सर्वे (कोष्ठक में कुल परिवारों का प्रतिशत दर्शाया गया है)

सारणी सं. 4 के अनुसार करीब 39.94 प्रतिशत परिवारों की मासिक आय 6000 रु. से अधिक पाई गई जिसमें अजमेर में करीब 52.94 प्रतिशत परिवारों की मासिक 6000 रू. से अधिक पाई गई निचले स्तर पर बात की जाए तो 27.59 प्रतिशत परिवारों की मासिक आय 3000 रु. से कम पाई गई जिसमें भी 10.06 प्रतिशत परिवारों की आय 1500 रु. से भी कम पाई गई। इसके अलावा करीब 18.51 प्रतिशत परिवारों की मासिक आय 3001 रु. से 4500 रु. के बीच पाई गई। इस प्रकार सर्वे से प्राप्त परिणामों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि करीब 46 प्रतिशत परिवारों की मासिक आय 4500 रु. से कम है। इस सन्दर्भ में एक विचारणीय तथ्य यह है कि औसतन 5 सदस्य से अधिक आकार वाले परिवारों की मासिक आय शहरी ईलाकों में 4500 रु. के लगभग है जो कि इस महंगाई के दौर में बहुत कम कही जा सकती है।

अतः आर्थिक पिछड़ेपन के चलते इन मुस्लिम परिवारों के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं की महत्ता और अधिक बढ़ जाती है।

अंत में, शहरी मुस्लिम परिवारों की जनसंख्या से संबंधित परिणामों के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि आंकड़ों के लिहाज से यह समुदाय बहुत पिछड़ा हुआ है। जनसंख्या के लिहाज से भी इन परिवारों में बहुत अच्छे हालात नहीं हैं क्योंकि प्राप्त परिणामों के अनुसार करीब 22 प्रतिशत शहरी मुस्लिम परिवारों में 7 अथवा इससे ज्यादा सदस्य हैं। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में भी मुस्लिम समुदाय पिछड़ा हुआ कहा जा सकता है। सर्वे से प्राप्त परिणामों के अनुसार मात्र 14.5 प्रतिशत परिवार उच्च माध्यमिक स्तर अथवा इससे अधिक पढ़े हुए हैं। रोजगार के क्षेत्र में भी हालात बहुत खराब हैं क्योंकि प्राप्त परिणामों के अनुसार इस समुदाय में बेरोजगारी के अलावा रोजगार भी बहुत निम्न स्तर का पाया जाता है जिससे कम आय के साथ साथ सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा नहीं हैं। अतः इस आधार पर यह तो स्पष्ट है कि मुस्लिम परिवार सामाजिक, आर्थिक रुप से बहुत पिछड़े हैं जिसमें सुधार हेतु सकारात्मक प्रयास किए जाने की बहुत जरुरत है। इस सन्दर्भ में सरकार की ओर से समुदाय के कल्याण हेतु विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पिछड़े वर्ग की स्थितियों में सुधार किया जाना बहुत जरुरी हो जाता है।

3. मुस्लिम परिवारों के बच्चे एवं सरकारी योजनाएं

बच्चे भावी समाज की आधारशिला होते हैं अतः केन्द्र सरकार के साथ–साथ राज्य सरकारों का भी यह प्रयास रहता है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु हरसंभव प्रयास किए जाएं ताकि उन्हें अच्छे स्वास्थ्य के साथ–साथ समुचित शिक्षा भी प्रदान की जा सके। इस उद्देश्य के लिये केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा बच्चों के कल्याण हेतु विकास योजनाएं चलाई जाती हैं।

सर्वे अध्ययन के दौरान शामिल परिवारों के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया गया कि शहरी मुस्लिम परिवारों के बच्चों को इन योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है या नहीं। इसके लिए इन परिवारों के बच्चों को 3 श्रेणी – (क) 6 वर्ष की आयु तक के बच्चे (ख) 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे और (ग) 14 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों में वर्गीकृत किया गया। इस आधार पर सर्वे से प्राप्त परिणाम इस प्रकार हैं :

- **6 वर्ष की आयु तक के बच्चे** : चूंकि आमतौर पर इस आयु के बच्चों का विद्यालयी शिक्षा से जुड़ाव नहीं पाया जाता है और यदि कुछ परिवारों के बच्चे शिक्षा से जुडे भी हैं तो वे बहुत कम संख्या में होते हैं। अतः इस कारण इस आयु तक के बच्चों के लिए आंगनबाड़ी एवं टीकाकरण पर आधारित जानकारी एकत्रित करने का प्रयास किया गया जिससे प्राप्त परिणाम इस प्रकार हैं :
  - सर्वे से प्राप्त परिणामों के अनुसार 74.1 प्रतिशत परिवारों के 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे आंगनबाड़ी केन्द्रों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है।
  - आंगनबाड़ी केन्द्रों तक सर्वाधिक 47.4 प्रतिशत टोंक शहर के एवं इसके पश्चात 45.2 प्रतिशत जोधपुर शहर के परिवारों के बच्चे आंगनबाड़ी केन्द्रों तक पहुंच रहे हैं जबकि जयपुर शहर में यह आंकड़ा मात्र 11.8 प्रतिशत पाया गया।
  - आंगनबाड़ी केन्द्रों तक बच्चों की कम पहुंच ही एकमात्र समस्या नहीं है बल्कि जो बच्चे केन्द्रों तक पहुंच रहे हैं उन्हे भी वहां पर पर्याप्त सुविधाएं मुहैया नहीं हो पा रही हैं। आंगनबाड़ी केन्द्रों में जाने वाले बच्चों में से 72 प्रतिशत बच्चों को ही पोषाहार मिल रहा है जबकि शेष 28 प्रतिशत बच्चे इससे वंचित हैं। जयपुर शहर में तो पोषाहार से वंचित इन बच्चों का आंकड़ा 33.3 प्रतिशत एवं जोधपुर में 21.1 प्रतिशत पाया गया।
  - आंगनबाड़ी केन्द्रों पर बच्चों के खेलने हेतु खेल सामग्री का भी पर्याप्त अभाव पाया गया। केन्द्रों पर जाने वाले 56.9 प्रतिशत बच्चों को ही खेल सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है जबकि शेष 43.1 प्रतिशत बच्चे इससे वंचित हो रहे

हैं। कोटा में तो 60 प्रतिशत बच्चे इस सामग्री से वंचित हैं जबकि जयपुर, जोधपुर में यह आंकड़ा क्रमशः 33.3 एवं 41.2 प्रतिशत है।

- टीकाकरण कार्ड बनवाने के मामले में भी इन परिवारों का आंकड़ा कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। ऐसे परिवार जिनमें कम से कम एक 6 वर्ष से कम आयु का बच्चा है, में से 53.6 प्रतिशत परिवारों ने बच्चों हेतु टीकाकरण कार्ड बनवाये हैं जबकि शेष 46.4 प्रतिशत परिवारों ने टीकाकरण कार्ड नहीं बनाये। सर्वाधिक 90.9 प्रतिशत कोटा शहर, अजमेर 88.5 प्रतिशत एवं टोंक में 73.3 प्रतिशत परिवारों ने टीकाकरण कार्ड बनवाया है। जयपुर में यह आंकड़ा मात्र 30.8 प्रतिशत पाया गया।
- जिन बच्चों के टीकाकरण कार्ड बनवाये जा चुके हैं, उनमें से भी केवल 56.1 प्रतिशत बच्चों को उनकी उम्र के अनुसार पर्याप्त टीके लगे हैं जिनमें सर्वाधिक 95.5 प्रतिशत अजमेर, टोंक 80 प्रतिशत एवं कोटा में 77.3 प्रतिशत बच्चों को पर्याप्त टीके लग चुके हैं। जयपुर में यह आंकड़ा मात्र 37.5 प्रतिशत पाया गया।

इस प्रकार 6 वर्ष के कम आयु के बच्चों हेतु आंगनबाड़ी जैसी महत्त्वपूर्ण योजना के मामले में इन शहरी मुस्लिम परिवारों की पहुंच बहुत कम है इसके अलावा वहां जाने वाले बच्चों को पर्याप्त सुविधाएं न मिल पाने के कारण यह आंकड़ा और अधिक नीचे आ सकता है। इसके अलावा टीकाकरण जैसी आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में भी इन परिवारों की कम पहुंच इनकी भावी पीढ़ी के स्वास्थ्य के नजरिये से नुकसानदायक हो सकती है। अतः आंगनबाड़ी केन्द्रों पर बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के साथ–साथ छोटे बच्चों के लिए टीकाकरण कार्ड बनवाने से लेकर सभी टीके लगवाने तक, इन सभी क्षेत्रों में क्रियान्वितता को लेकर सुधार किए जाने की नितांत आवश्यकता है।

- **6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चे :** चूंकि बच्चों की यह उम्र विद्यालयी शिक्षा से जुड़ाव रखती है अतः सर्वे अध्ययन के माध्यम से शहरी मुस्लिम परिवारों के इन बच्चों के बारे में विद्यालयी शिक्षा को लेकर जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया जिससे प्राप्त परिणाम इस प्रकार हैं :
  - सर्वे से प्राप्त परिणामों के अनुसार मुस्लिम परिवारों के 9.7 प्रतिशत बच्चे अभी भी विद्यालयी शिक्षा से वंचित हैं। जिनमें सर्वाधिक 35.6 प्रतिशत बच्चे जयपुर शहर के हैं जबकि टोंक, कोटा, अजमेर, उदयपुर एवं जोधपुर में शिक्षा से वंचित बच्चों का प्रतिशत क्रमशः 14 प्रतिशत, 4.7 प्रतिशत, 3.6 प्रतिशत, 3.2 प्रतिशत एवं 1.4 प्रतिशत है। शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के उपरान्त भी जयपुर जैसे राजधानी शहर में एक तिहाई से अधिक बच्चों का विद्यालयी शिक्षा के बाहर होना एक चिंताजनक स्थिति प्रतीत होती है।

- विद्यालय जा रहे इन बच्चों में से मात्र 39.0 प्रतिशत बच्चे ही सरकारी विद्यालयों में जा रहे है जबकि 54.2 प्रतिशत बच्चे निजी विद्यालयों में एवं शेष 6.8 प्रतिशत बच्चे मदरसा या अन्य किसी प्रकार के शिक्षण संस्थान में जा रहे हैं। उदयपुर में सर्वाधिक 80 प्रतिशत बच्चे सरकारी विद्यालयों में जा रहे हैं जबकि टोंक व जयपुर में यह आंकड़ा क्रमशः 51.4 प्रतिशत एवं 48.4 प्रतिशत पाया गया। कोटा में केवल 19.5 प्रतिशत बच्चे ही सरकारी विद्यालयों में जा रहे हैं। इस प्रकार एक ओर जहां सरकार बच्चों को सरकारी विद्यालयों से जोड़ने के लिए भारी भरकम राशि प्रतिवर्ष खर्च कर रही है वहीं दूसरी ओर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में बच्चों की कम प्रतिशतता सरकारी शिक्षण व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करती है।
- प्राप्त परिणामों के अनुसार विद्यालय जाने वाले मात्र 35 प्रतिशत बच्चों को पोषाहार मिल रहा है और जिन बच्चों को पोषाहार मिल रहा है उनमें से 7.2 प्रतिशत के अनुसार मिड–डे–मील की गुणवत्ता खराब है, 29.9 प्रतिशत बच्चों ने इसे अच्छा बताया जबकि शेष 62.9 प्रतिशत बच्चों के अनुसार यह साधारण गुणवत्ता का होता है। कोटा में 83.3 प्रतिशत बच्चों ने मिड–डे–मील की गुणवत्ता को खराब बताया जबकि अजमेर में 70 प्रतिशत बच्चों ने इसे अच्छा बताया।
- विद्यालयी शिक्षा से वंचित बच्चों के परिवारों से इन बच्चों को स्कूल नहीं भेजे जाने का कारण पूछे जाने पर करीब 47.2 प्रतिशत परिवारों ने धन की कमी को सबसे बड़ा कारण बताया जिसके कारण ये लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते और इसके कारण इन बच्चों को किसी छोटे मोटे काम पर कमाने के लिए भेज दिया जाता है। करीब 13.9 प्रतिशत बच्चे शारीरिक रुप से परेशानी के चलते विद्यालय नहीं जा पा पा रहे हैं।

प्राप्त परिणामों के अनुसार संक्षेप में कहा जा सकता है कि आज भी राज्य में बहुत से परिवार ऐसे हैं जो धन अभाव के चलते अपने बच्चों को विद्यालयों में नहीं भेज पा रहे हैं जबकि सरकारी नीतियों के मुताबिक धन अभाव के चलते बच्चों को शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता। इसके लिए सरकार ने निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून जैसा कारगर उपाय लागू तो किया है। लेकिन जैसा कि ऊपर देखा गया है सरकारी शिक्षण संस्थाओं में व्याप्त अनेक खामियों के चलते लोगों का इन संस्थाओं से पर्याप्त जुड़ाव नहीं हो पा रहा है जिसमें सुधार करके शिक्षण व्यवस्था को और अधिक उन्नत किए जाने की आवश्यकता है।

- **14 से 18 वर्ष की आयु तक के बच्चे** : प्रायः देखने में आता है कि आर्थिक रुप से पिछड़े कुछ परिवारों के बच्चे इस उम्र तक आते आते पढ़ाई छोड़ देते हैं और कुछ

रोजगार करना अथवा पैतृक काम में हाथ बंटाना शुरु कर देते हैं। इस सन्दर्भ में सर्वे में शामिल मुस्लिम परिवारों से इस बारे में जानकारी ली गई तो निम्न परिणाम देखने में आये :

- 14 से 18 वर्ष आयु के 38.3 प्रतिशत बच्चे विद्यालय नहीं जा रहे हैं जबकि 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों के मामले में यह आंकड़ा 9.7 प्रतिशत पाया गया था। उदयपुर में सर्वाधिक 60.7 प्रतिशत, जयपुर में 50 प्रतिशत एवं टोक में 42.9 प्रतिशत किशोर उम्र के बच्चे विद्यालयी शिक्षा से बाहर पाये गये जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है।
- परिवारों से प्राप्त जवाब के अनुसार 14 से 18 वर्ष तक की आयु के कुल बच्चों में से 35.5 प्रतिशत बच्चे किसी न किसी रोजगार से जुड़े होने के कारण विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं।

- **अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों हेतु छात्रवृति :** ऊपर बताये अनुसार मुस्लिम परिवारों के बच्चों में वित्तीय समस्याओं के चलते पढ़ाई में आने वाली बाधा को दूर करने के लिए सरकार इस समुदाय के बच्चों को छात्रवृति प्रदान करती है। इसके लिए अल्पसंख्यक मामलात विभाग के द्वारा इस वर्ग के बच्चो को उत्तर मैट्रिक छात्रवृति, अनुप्रति योजना जैसी छात्रवृति प्रदान की जाती है। इन योजनाओं के बारे में संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है :
  - **उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्रि योजना** : इस योजना के तहत आर्थिक रुप से कमजोर परिवारों के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा (उच्च माध्यमिक एवं उच्च कक्षाओं) अध्ययन हेतु छात्रवृति प्रदान की जाती है।
  - **अनुप्रति योजना** : इस योजना के तहत अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियो को प्रतियोगी परीक्षाओं यथा भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा, राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा के अलावा IITs, IIMs एवं राष्ट्रीय स्तर के मेडिकल कॉलेजों इत्यादि शीर्ष–शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु प्रेरित करने के लिए भी प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान है।

इन योजनाओं के बारे मे सर्वे से प्राप्त परिणाम आगामी अध्याय में बताये गये हैं। अल्पसंख्यक मामलात विभाग की वेबसाईट से इस प्रकार की अन्य योजनाओं के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अंत में, सर्वे से प्राप्त इन परिणामों के अनुसार आंगनबाड़ी केन्द्रों तक बच्चों की कम पहुंच के अलावा इन केन्द्रों पर जाने वाले बच्चों को पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाना भी चिंता का विषय हैं जो कि सरकारी ढ़ाचे में कमियों को दर्शाता है। जब शहरी क्षेत्रों के आंगनबाड़ी केन्द्रों में इस प्रकार की कमियां पाई जा रही हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक कमियां पाये जाने की संभावना से इन्कार नहीं किया सकता। बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर भी बहुत

अधिक जागरूकता इन परिवारों में नहीं पाई गई है। बच्चों का टीकाकरण कार्ड नहीं बनाना, समय पर आवश्यक टीके नहीं लगवाना आदि बच्चों की शारीरिक सुरक्षा के प्रति परिवारजन के साथ–साथ सरकार की लापरवाही को भी उजागर करता है। बढ़ती उम्र के साथ–साथ बच्चों का शिक्षा से जुड़ाव कम होना चिंताजनक है क्योंकि इसका असर आगामी पीढ़ी के सामाजिक, आर्थिक विकास पर पड़ता है। क्योंकि आज जो बच्चे वित्तीय समस्याओं के चलते विद्यालय न जाकर काम धन्धे पर जाने को मजबूर हैं हो सकता है आने वाले समय में इनकी आने वाली पीढ़ियों को भी इस समस्या से जूझना पड़े।

अतः इस कारण सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं के द्वारा इन परिवारों को लाभान्वित करके न केवल उन्हे आर्थिक रुप से आत्मनिर्भर बनाये जाने के प्रयास किए जाने की जरुरत है अपितु उन्हे बच्चों को शिक्षा से जुड़ाव बनाये रखने हेतु लगातार प्रेरित किए जाने की भी आवश्यकता है। क्योंकि तभी मुस्लिम समुदाय के इन बच्चों को समाज की मुख्यधारा से जोड़कर देश का सफल नागरिक बनाया जा सकता है।

4. मुस्लिम परिवारों के विकलांग, विधवा एवं वृद्ध सदस्य और सरकारी योजनाएं

सरकार द्वारा प्रतिवर्ष चलाई जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं में राज्य के विकलांग, विधवा एवं वृद्ध सदस्य एक बहुत महत्त्वपूर्ण एवं जरुरतमंद तबका है जिसे विशेष रुप से आर्थिक एवं सामाजिक सहायता की जरुरत होती है। सर्वे अध्ययन के माध्यम से इन लोगों तक सरकारी योजनाओं की पहुंच को लेकर आवश्यक जानकारी एकत्रित की गई जिससे प्राप्त परिणामों को तीन वर्गों यथा विकलांग, विधवा एवं वृद्ध सदस्यों में विभक्त किया गया है।

- **शारीरिक/मानसिक रुप से विकलांग सदस्य** : सर्वे से प्राप्त परिणाम इस प्रकार हैं :
  - सर्वे किए गये शहरी मुस्लिम परिवारों में से 9.7 प्रतिशत परिवार ऐसे पाये गये जिनमें कम से कम एक सदस्य विकलांग है। इनमें सर्वाधिक 21.4 प्रतिशत परिवार जोधपुर में, 14 प्रतिशत परिवार उदयपुर में एवं 9.8 प्रतिशत परिवार कोटा में पाये गये। जयपुर में यह आंकड़ा 2 प्रतिशत पाया गया।
  - करीब 81 प्रतिशत विकलांग व्यक्तियों को किसी प्रकार की सरकारी सहायता (पेंशन, सस्ता ऋण अथवा सहायतार्थ उपकरण) नहीं मिली है। कोटा मे सर्वाधिक 75 प्रतिशत विकलांगों को सरकारी सहायता प्राप्त हुई है।
  - विकलांगों को सरकारी सहायता न मिलने का सबसे बड़ा कारण लोगों को विकलांगों से जुड़ी सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी का अभाव है। करीब 62.5 प्रतिशत लोगों को इन योजनाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं है। शेष 25 प्रतिशत लोग जिन्हें इन योजनाओं के बारे में जानकारी हैं इसके लिए उन्होंने आवेदन भी किया लेकिन उनकी फाईल सरकारी कार्यवाही में अटकी होने के कारण उन्हे सरकारी सहायता नहीं मिल सकी है।

- **विधवा महिला सदस्य** : सर्वे से प्राप्त परिणाम इस प्रकार है :
  - सर्वे किए गये शहरी मुस्लिम परिवारों में से 21.4 प्रतिशत परिवार ऐसे पाये गये जिनमें कम से कम एक सदस्य विधवा महिला है। इनमें सर्वाधिक 46 प्रतिशत परिवार उदयपुर में, 27.5 प्रतिशत परिवार अजमेर में एवं 16 प्रतिशत परिवार टोंक में पाये गये। जयपुर में यह आंकड़ा 14 प्रतिशत पाया गया।
  - करीब 76.9 प्रतिशत विधवा महिलाओं को किसी प्रकार की सरकारी सहायता नहीं मिली है। सर्वाधिक अजमेर में 40 प्रतिशत विधवाओं को सरकारी सहायता प्राप्त हुई है।
  - विधवा महिलाओं को सरकारी सहायता न मिलने का सबसे बड़ा कारण सरकारी कार्यवाही में फाईल का अटकना है। करीब 55.6 प्रतिशत विधवा महिलाओं द्वारा पेंशन हेतु आवेदन करने के बावजूद उनकी फाईल सरकारी कार्यवाही में अटकी

होने के कारण उन्हे पेंशन अथवा अन्य किसी प्रकार की सरकारी सहायता नहीं मिल सकी। जबकि 31.1 प्रतिशत लोगों को इन योजनाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं है जिसके चलते उन्होंने विधवा पेंशन अथवा अन्य किसी सरकारी सहायता लेने हेतु आवेदन नहीं किया।

- **वृद्व सदस्य** : सर्वे से प्राप्त परिणाम इस प्रकार है :
  - सर्वे किए गये शहरी मुस्लिम परिवारों में से 18.5 प्रतिशत परिवार ऐसे पाये गये जिनमें कम से कम एक सदस्य बुजुर्ग (60 वर्ष से अधिक आयु के महिला अथवा पुरुष) हैं। इनमें सर्वाधिक 25 प्रतिशत परिवार जोधपुर में, कोटा एवं उदयपुर में 18–18 प्रतिशत एवं जयपुर एवं टोंक में 16–16 प्रतिशत परिवार पाये गये।
  - करीब 86.4 प्रतिशत वृद्ध सदस्यों को किसी प्रकार की सरकारी सहायता नहीं मिली है। अजमेर में करीब करीब सभी आवेदकों को सरकारी सहायता प्राप्त हुई है।
  - जिन वृद्धों को सरकारी सहायता आवेदन करने के बावजूद प्राप्त नहीं हुई है उन्होंने सरकारी सहायता न मिलने का सबसे बड़ा कारण सरकारी कार्यवाही में फाईल का अटकना बताया। करीब 47.8 प्रतिशत वृद्धों द्वारा पेंशन हेतु आवेदन करने के बावजूद उनकी फाईल सरकारी कार्यवाही में अटकी होने के कारण उन्हें पेंशन अथवा अन्य किसी प्रकार की सरकारी सहायता नहीं मिल पा रही है। जबकि 30.4 प्रतिशत लोगों को इन योजनाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं है जिसके चलते उन्होंने 21.7 प्रतिशत वृद्धों ने वृद्धावस्था पेंशन अथवा अन्य किसी सरकारी सहायता लेने हेतु आवेदन नहीं किया।

संक्षेप में, मुस्लिम समुदाय में समाज में निर्बल माना जाने वाला वर्ग विकलांग, विधवा एवं वृद्ध भी परेशानियों से जूझ रहा है। इन लोगों तक भी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है जिनमें सबसे बड़ा कारण लोगों में जानकारी का अभाव पाया जाना और आवेदन करने के उपरान्त भी फाईल सरकारी कार्यवाही में अटका होना है। इन सन्दर्भ में यह बहुत जरुरी है कि सरकार द्वारा विशेष निर्देश जारी किए जायें ताकि इस वर्ग तक योजनाओं के बारे में अधिक से अधिक जानकारी लोगों तक पहुंचे एवं इसके अलावा आवेदन करने के पश्चात बिना किसी सरकारी व्यवधान के इन लोगों को समय पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाए।

5. मुस्लिम दस्तकार परिवार और सरकारी योजनाएं

आमतौर पर देखने में आता है कि बहुत से मुस्लिम परिवारों का दस्तकारी एवं हस्तकला से जुड़े कार्यों के प्रति विशेष लगाव होता है और वे इन कार्यों को अपनी आजीविका के तौर पर अपना लेते हैं उदाहरणार्थ बुनकर, रंगरेज, लखेरा (लाख की चूड़िया बनाने वाला) आदि। इसी सन्दर्भ में सर्वे अध्ययन के दौरान मुस्लिम परिवारों में दस्तकारी एवं हस्तकला से संबंधित कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की गई और इस संबध में इन परिवारों को सरकार की ओर से मिलने वाली सहायता के बारे में चर्चा की गई। सर्वे से प्राप्त परिणाम इस प्रकार हैं:

- सर्वे में शामिल शहरी मुस्लिम परिवारों में से 9.4 प्रतिशत परिवार ऐसे पाये गये जिनमें कोई न कोई सदस्य बुनकर, रंगरेज या लखेरा जैसे कार्यों में संलग्न है। इनमें सर्वाधिक कोटा शहर से 25.5 प्रतिशत, टोक में 12 प्रतिशत एवं अजमेर में 7.8 प्रतिशत इन कार्यों में संलग्न पाये गये।
- जब इन परिवारों से इस संदर्भ में बात की गई कि लुप्तप्रायः हो रहे इन कार्यों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा इन परिवारों को किसी प्रकार की सहायता प्रदान की गई है तो इस मामले में बेहद कमजोर आंकड़े सामने आये। सर्वे में शामिल प्रायः सभी शहरों के मुस्लिम परिवारों ने बताया कि उन्हें इन कार्यों के प्रोत्साहन हेतु किसी प्रकार की सरकारी सहायता प्राप्त नहीं हुई है। सिर्फ टोंक में इन कार्यां में संलग्न परिवारों में से करीब 18 प्रतिशत परिवारों ने बताया कि उन्हे इसके लिए सरकार की ओर से सस्ता ब्याज ऋण मिला है।

जैसा कि उपर बताया गया है दस्तकारी एवं हस्तकला से जुड़े इन परिवारों की तादाद एक तरफ वैसे ही कम होती जा रही है क्योंकि एक ओर तो अधिक मेहनत के बावजूद इन कार्यों से होने वाला कम मुनाफा और दूसरी ओर वर्तमान पीढ़ी का इन कार्यों में कम रुझान होना है। उपर से सरकार द्वारा किसी प्रकार का प्रोत्साहन न दिए जाने से धीरे–धीरे इन कार्यों में संलग्न परिवारों का इन कार्यों से रुझान कम होता जा रहा हैं। अतः इन परिस्थितियों में सरकार को चाहिए कि सरकार इन कार्यों में संलग्न परिवारों को सस्ता ऋण, मशीनरी उपलब्ध करवाए, रोजगार स्थापना हेतु कम दरों पर भूमि उपलब्ध करवाए, तैयार माल की बिक्री हेतु बाजार उपलब्ध करवाए। ताकि अधिक से अधिक लोगों का इन कार्यों से जुड़ाव सुनिश्चित किया जा सके और अधिक से अधिक लोगों को इस क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध करवाया जा सके।

6. मुस्लिम परिवारों की स्वास्थ्य से जुड़ी सरकारी योजनाओं तक पहुंच

गौरतलब है कि स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा व्यक्ति की मुलभूत आवश्यकताओं पर आधारित एक ऐसा पहलू है जो सभी वर्गों या समुदायों के लिए प्राथमिक रुप से जरुरी है। अतः जन स्वास्थ्य को लेकर केन्द्र एवं राज्य सरकार विशेष रुप से सचेत रहती है और इसके लिए प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर स्वास्थ्य के लिए एक बड़ी राशि बजट के रुप में खर्च की जाती है। वर्तमान में स्वास्थ्य के क्षेत्र में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा अपने–अपने स्तर पर योजनाएं संचालित की जा रही हैं, इसके अलावा केन्द्र सरकार के सहयोग से प्राप्त अंशदान राशि से राज्यों में केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। अब अगर राजस्थान के संदर्भ में बात की जाए तो यहां पर भी जन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अंतर्गत बहुत सी योजनाएं संचालित की जा रही हैं।

इन योजनाओं में वर्तमान में संचालित की जा रही दो प्रमुख योजनाओं – मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना एवं मुख्यमंत्री बी.पी.एल. जीवन रक्षा कोष योजना को सर्वे अध्ययन में शामिल किया गया। अध्ययन से प्राप्त परिणामों के आधार पर यह जानने का प्रयास किया गया कि शहरी क्षेत्रों के मुस्लिम परिवारों तक इन योजनाओं की पहुंच कहां तक है और यदि इन योजनाओं की पहुंच में कुछ खामी है तो किस स्तर पर इनमें सुधार किया जाना बाकी है।

- **ईलाज का स्थान** : ऐसे परिवारों से, जिनमें पिछले एक वर्ष की अवधि के दौरान कोई न कोई सदस्य बीमार हुआ है, ईलाज कराने के स्थान के बारे में जानकारी सारणी सं. 5 के अनुसार प्राप्त हुई।

सारणी संख्या 5 : ईलाज करवाने का स्थान (प्रतिशत में)

शहर	अजमेर	जयपुर	जोधपुर	कोटा	टोंक	उदयपुर	कुल योग
सरकारी चिकित्सालय	32.6	77.8	80.0	46.2	61.5	73.7	51.3
निजी चिकित्सालय एवं अन्य	67.4	22.2	20.0	53.8	38.5	26.6	47.7
कुल योग	100	100	100	100	100	100	100

स्रोत : बार्क सर्वे

सारणी सं. 5 के अनुसार ईलाज हेतु 51.3 प्रतिशत मुस्लिम परिवार सरकारी चिकित्सालयों में गये जबकि 47.7 प्रतिशत परिवारों ने निजी चिकित्सालय सहित अन्य संस्थानों (निजी क्लिनिक, संस्थाओं अथवा देशी ईलाज) की सेवा प्राप्त की। सरकार द्वारा प्रतिवर्ष अच्छी खासी रकम स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यय किए जाने के बावजूद तकरीबन आधे परिवार सरकारी चिकित्सालयों में नहीं जा पा रहे हैं जो कि एक

विचारणीय तथ्य है। निजी संस्थाओं में ईलाज करवाने वाले परिवारों में सर्वाधिक प्रतिशत अजमेर में 67.4 प्रतिशत पाया गया, गौरतलब है कि अजमेर में ही सर्वाधिक परिवार ऐसे पाये गये थे जिनमें कोई न कोई सदस्य बीमार हुआ है। जबकि सरकारी अस्पतालों में ईलाज करवाने वाले परिवारों का सर्वाधिक प्रतिशत जयपुर में 77.8 प्रतिशत पाया गया जो कि एक सराहनीय आंकड़ा बताया जा सकता है।

- **मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना** : राज्य में 2 अक्टूबर 2011 से संचालित की जा रही मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, जिसके तहत राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों को आवश्यक दवाएं निःशुल्क दिए जाने का प्रावधान किया गया है, हेतु सर्वे से प्राप्त परिणाम इस प्रकार हैं :
  - सर्वे के दौरान 46.4 प्रतिशत परिवारों ने माना कि उनके परिवार में पिछले एक वर्ष की अवधि में कोई न कोई सदस्य बीमार हुआ है जिसमें सर्वाधिक परिवार अजमेर में 96 पाये गये जबकि जयपुर में न्यूनतम 30 प्रतिशत परिवार पाये गये।
  - सर्वे अध्ययन के दौरान पाया गया कि सरकारी अस्पतालों में ईलाज हेतु जाने वाले लोगों में से करीब 64.4 प्रतिशत को निःशुल्क दवाईयां नहीं मिली अथवा कम मिली बची हुई दवाईयां उन्हें बाजार से खरीदनी पड़ी। जयपुर में यह आंकड़ा सर्वाधिक 91.4 प्रतिशत पाया गया जबकि टोंक में न्यूनतम 6.7 प्रतिशत। इसके अलावा अजमेर, जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर में निःशुल्क दवाईयों से वंचित लोगों का प्रतिशत क्रमशः 58.6, 79.2, 40.0 एवं 71.4 प्रतिशत पाया गया। वंचित लोगों में से 9.5 प्रतिशत लोगों का जवाब था कि पर्ची में लिखी दवा केन्द्र पर उपलब्ध नहीं थी, 40.5 प्रतिशत लोगों ने बताया कि केन्द्र पर कुछ दवाईयां ही मिली जबकि बाकी दवाईयां उन्हे बाजार से खरीदनी पड़ी जबकि 16.7 प्रतिशत लोगों ने बताया की उन्हें इस योजना की जानकारी नहीं होने से वे केन्द्र तक गये ही नहीं।

- **मुख्यमंत्री बी.पी.एल. जीवन रक्षा कोष योजना** : इस योजना के तहत राज्य के बी.पी.एल. परिवारों में से किसी सदस्य के गंभीर रुप से बीमार होने अथवा दुर्घटना घटने पर ईलाज हेतु मुख्यमंत्री बी.पी.एल. जीवन रक्षा कोष योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। सर्वे अध्ययन के दौरान कुछ बी.पी.एल. परिवार भी शामिल किए गये थे अतः अध्ययन में इस योजना को शामिल करते हुए जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया जिससे प्राप्त परिणाम इस प्रकार हैं :
  - सर्वे में शामिल शहरी क्षेत्रों के मुस्लिम परिवारों में शामिल बी.पी.एल. परिवारों में से 17.5 प्रतिशत परिवारों ने बताया कि उनके परिवार में विगत एक वर्ष की अवधि में कोई सदस्य गंभीर बीमारी अथवा दुर्घटना से पीड़ित हुआ है।

- गंभीर बीमारी अथवा दुर्घटना से पीड़ित सदस्यों के परिवारों में से मात्र 16.3 प्रतिशत परिवारों में मुख्यमंत्री बी.पी.एल. जीवन रक्षा कोष योजना के बारे में जानकारी पाई गई। कोटा में यह आंकड़ा सर्वाधिक 50 प्रतिशत पाया गया।
- ऐसे परिवारों, जिनमें विगत एक वर्ष की अवधि में कोई सदस्य गंभीर बीमारी अथवा दुर्घटना से पीड़ित हुआ है एवं उन्हें मुख्यमंत्री बी.पी.एल. जीवन रक्षा कोष योजना के बारे में जानकारी है, में से केवल 7.1 प्रतिशत परिवारों ने इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन किया।

सर्वे से प्राप्त परिणामों के आधार पर स्पष्ट है करीब 50 प्रतिशत लोग सरकारी चिकित्सालयों से बाहर ईलाज करवा रहें हैं जो कि उनके आर्थिक भार को और अधिक बढ़ाता है। इसका एक कारण यह भी माना जा सकता है कि सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त देखभाल, साफ सफाई एवं आवश्यक उपकरणों के अभाव के चलते लोगों का इन अस्पतालों में ईलाज करवाने की ओर रुझान कम हो। इसके अलावा सरकार स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की ओर मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना एक कारगर योजना साबित हो सकती है लेकिन इस योजना कि क्रियान्वितता में अभी और अधिक सुधार किए जाना बाकी है।

राज्य में बीपीएल परिवारों हेतु मुख्यमंत्री बी.पी.एल जीवन रक्षा कोष योजना एक अच्छी योजना है लेकिन इसके बारे में लोगों में जानकारी का पर्याप्त अभाव है जिसमें सुधार किए जाने की आवश्यता है। इसके अलावा योजनाओं के संचालन में एक अन्य बाधा यह है कि यदि लोगों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी है भी तो इनकी आवेदन प्रक्रिया के साथ–साथ अन्य विभागीय प्रक्रिया में जटिलता एवं इनके बारे में जानकारी के अभाव के चलते वांछित लोग अभी भी इन योजनाओं की पहुंच से परे हैं। अतः इन योजनाओं के पूर्ण रुप से सही संचालन हेतु पहला और आवश्यक प्रयास यह किया जाना चाहिए कि सभी लोगों तक इन योजनाओं के बारे में आवश्यक जानकारी पहुंचाई जाये एवं साथ ही इनकी आवेदन प्रक्रिया को भी सरल बनाना बहुत महत्त्वपूर्ण है।

7. मुस्लिम परिवारों की सार्वजनिक वितरण प्रणाली तक पहुंच

महंगाई के इस दौर में एक आम आदमी के लिए सीमित आय संसाधनों के बीच जीवन यापन करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है जिसका सीधा असर व्यक्ति एवं उसके परिवार के जीवन स्तर पर आता है। बढ़ती महंगाई एवं सीमित आय के बीच व्यक्ति सामंजस्य बैठाने के लिए विलासितापूर्ण भौतिक संसाधनों पर व्यय को कम कर सकता है जबकि अपने व अपने परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं पर नियंत्रण संभव नहीं है। उदाहरण के लिए भोजन, आवास एवं वस्त्र जैसी जरुरतों को उसे पूरी करना अतिआवश्यक हो जाता है जिनके लिए किसी प्रकार का सामंजस्य नहीं बैठाया जा सकता। अतः आम आदमी के जीवन जीने के लिए मूलभूत आवश्यकताओं में से भोजन जैसी जरुरत को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की गई है। जिसके तहत लोगों को सरकार द्वारा स्थापित राशन की दुकानों पर राशन सामग्री यथा चीनी, चायपत्ती, आटा, केरोसिन तेल, गेहूं, चावल ईत्यादि का नियंत्रित कीमतों पर राशन कार्ड के आधार पर आवंटन किया जाता है।

- **राशन कार्ड की उपलब्धता :** इस प्रकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आवंटित की जाने वाली सामग्री आम आदमी की रोजमर्रा की जरुरतों को पूरा करने हेतु एक कारगर उपाय है। इस प्रणाली के लाभान्वितों की संख्या एवं इसके दायरे को देखते हुए सर्वे के दौरान इसे भी अध्ययन में शामिल किया गया। सर्वे से प्राप्त परिणाम इस प्रकार हैं :
    - ➢ सर्वे में शामिल किए गये शहरी मुस्लिम परिवारों से प्राप्त जवाब के अनुसार 84.7 प्रतिशत परिवारों के राशन कार्ड बने हुए हैं जबकि शेष 15.3 प्रतिशत परिवारों का राशन कार्ड नहीं बना हुआ पाया गया। राशन कार्ड से वंचित परिवारों में सर्वाधिक आंकड़ा 27.5 प्रतिशत कोटा में पाया गया जबकि टोंक में तकरीबन सभी परिवारों के पास राशन कार्ड पाया गया। राशन कार्ड से वंचित परिवारों में उदयपुर, अजमेर, जोधपुर एवं जयपुर में क्रमशः 24.0, 19.6, 10.7 एवं 10 प्रतिशत आंकडा पाया गया।

सारणी संख्या 6 : राशन कार्ड का प्रकार (प्रतिशत में)

शहर	अजमेर	जयपुर	जोधपुर	कोटा	टोंक	उदयपुर	कुल योग
ए.पी.एल.	58.5	44.4	54.0	54.1	78	70.3	60.0
बी.पी.एल.	41.5	15.6	22.0	45.9	22.0	29.7	28.5
राज्य बी.पी.एल.	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	3.8
अन्त्योदय	0.0	40.0	4.0	0.0	0.0	0.0	7.7
कुल योग	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

स्त्रोत : बार्क सर्वे

सारणी सं. 6 के अनुसार करीब 60 प्रतिशत परिवारों के पास ए.पी.एल. श्रेणी के राशन कार्ड पाये गये, 28.5 प्रतिशत परिवारों के पास बी.पी.एल. श्रेणी के, 7.7 प्रतिशत राशन कार्ड अन्त्योदय श्रेणी के एवं 3.8 प्रतिशत राशन कार्ड राज्य बी.पी.एल. श्रेणी के पाये गये। बी.पी.एल. श्रेणी के सर्वाधिक राशन कार्ड (45.9 प्रतिशत) कोटा शहर के परिवारों के पास पाये गये जबकि जयपुर में 15.6 प्रतिशत परिवारों के पास बीपीएल श्रेणी के राशन कार्ड पाये गये।

- **राशन सामग्री एवं गुणवत्ता :**
  - सर्वे से प्राप्त परिणामों के अनुसार राशन कार्ड धारक परिवारों में से 71.4 प्रतिशत परिवारों ने बताया कि उन्होंने पिछले 3 माह की अवधि में राशन कार्ड द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन सामग्री प्राप्त की है। टोंक में 57.1 प्रतिशत, जयपुर, कोटा एवं अजमेर में क्रमशः 29.5, 25.0 एवं 23.9 प्रतिशत राशन कार्ड धारक परिवारों द्वारा मे राशन सामग्री नहीं लेने की जानकारी दी गई ।
  - प्राप्त परिणामों के अनुसार करीब 11.9 प्रतिशत परिवारों ने बताया कि राशन प्रणाली के तहत मिलने वाले आटे की गुणवत्ता खराब होती है जबकि 12.8 प्रतिशत परिवारों ने मिलने वाले गेहूं की गुणवत्ता को खराब बताया। कोटा में सर्वाधिक करीब 46 प्रतिशत परिवारों ने आटे की गुणवत्ता को खराब बताया जबकि जयपुर में सर्वाधिक 37 प्रतिशत परिवारों ने गेहूं की गुणवत्ता को खराब बताया।
  - करीब 2.5 प्रतिशत परिवारों ने राशन प्रणाली के तहत मिलने वाले केरासिन तेल की गुणवत्ता को खराब बताया जिसमें सर्वाधिक करीब 6 प्रतिशत आंकड़ा जोधपुर शहर में पाया गया।
  - करीब 30.3 प्रतिशत परिवारों ने राशन प्रणाली के तहत मिलने वाली चायपत्ती की गुणवत्ता को खराब बताया जिसमें सर्वाधिक आंकड़ा करीब 83.3 प्रतिशत जयपुर में पाया गया।

इस प्रकार सर्वे से प्राप्त परिणामों के अनुसार राशन प्रणाली में मुख्य तौर पर तीन प्रकार की खामियां पाई गईं जिसमें सुधार किए जाने की आवश्यकता है। पहली, करीब 15 प्रतिशत परिवारों के पास राशन कार्ड का अभाव पाया जाना, दूसरी, राशन कार्ड धारक परिवारों द्वारा राशन सामग्री का उपभोग न करना एवं तीसरी और अंतिम, राशन सामग्री की गुणवत्ता खराब होना। प्रथमतया यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि राज्य के हरेक परिवार को राशन कार्ड मिले, इसके बाद आवंटित सामग्री की गुणवत्ता में सुधार किया जाना चाहिए।

8. मुस्लिम परिवारों का आवासीय स्तर एवं आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता

जैसा कि पूर्व में भी बताया गया है कि भोजन, आवास एवं वस्त्र एक आम आदमी की मूलभूत आवश्यकताएं हैं जिन्हे पूरा करने के लिए व्यक्ति सदैव प्रयासरत रहता है। भोजन आधारित विषय पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चर्चा की जा चुकी है इसके पश्चात आवास पर आधारित जानकारी को प्रस्तुत अध्याय में बताया गया है। इसके अंतर्गत सर्वे में शामिल शहरी क्षेत्र के मुस्लिम परिवारों के आवास प्रकार, बनावट श्रेणी के अतिरिक्त अन्य सुविधाओं (नल, बिजली, सीवरेज आदि) के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास किया गया।

सारणी संख्या 7 : मकान का प्रकार (प्रतिशत में)

	अजमेर	जयपुर	जोधपुर	कोटा	टोंक	उदयपुर	कुल योग
निजी मकान	68.6	95.7	55.4	56.9	80.0	46.0	66.6
किराए का मकान	31.4	4.3	42.8	37.3	20.0	54.0	32.1
अन्य	0.0	0.0	1.8	5.8	0.0	0.0	1.3
कुल योग	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

स्त्रोत : बार्क सर्वे

- ➢ प्राप्त परिणामों के अनुसार करीब 66.6 प्रतिशत परिवारों के पास स्वयं का मकान पाया गया जबकि, 32.1 प्रतिशत परिवार किराए के मकान में रह रहे हैं एवं शेष 1.3 प्रतिशत परिवार अन्य प्रकार के आवास जिनमें सरकारी क्वार्टर, अस्थायी आवास/बसेरा आदि शामिल हैं, में निवास कर रहे हैं।
- ➢ निजी मकान के मामले में सर्वाधिक आंकड़ा जयपुर में 95.7 प्रतिशत पाया गया जबकि उदयपुर में न्यूनतम 46 प्रतिशत पाया गया। इसके विपरीत किराए के मकान के मामले में उदयपुर में सर्वाधिक 54 प्रतिशत एवं जयपुर में न्यूनतम 3 प्रतिशत परिवार पाये गये।

- **मकान की बनावट श्रेणी :** मकान के प्रकार के पश्चात मकान की बनावट श्रेणी के आधार पर भी परिवारों के बारे में जानकारी सर्वे अध्ययन के दौरान जुटाई गई जिससे प्राप्त परिणाम निम्न प्रकार हैं :

सारणी संख्या 8 : मकान की बनावट श्रेणी (प्रतिशत में)

	अजमेर	जयपुर	जोधपुर	कोटा	टोंक	उदयपुर	कुल योग
कच्चा मकान	2.0	27.7	14.5	3.9	6.5	20.0	12.3
पक्का मकान	98.0	19.1	61.8	80.4	89.1	68.0	69.7
मिश्रित	0.0	53.2	23.6	15.7	4.3	12.0	18.0
कुल योग	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

स्त्रोत : बार्क सर्वे

- ➢ प्राप्त परिणामों के अनुसार 12.3 प्रतिशत परिवारों के पास कच्चे मकान पाये गये जबकि, 69.7 प्रतिशत परिवारों के पास पक्के मकान पाये गये एवं 18 प्रतिशत परिवारों के पास मिश्रित मकान पाये गये।
- ➢ कच्चे मकान वाले सर्वाधिक परिवारों का प्रतिशत जयपुर में 27.7 प्रतिशत एवं उदयपुर में 20 प्रतिशत पाया गया। इसके विपरीत अजमेर में न्यूनतम 2.0 प्रतिशत परिवारों के पास कच्चे मकान पाये गये।
- ➢ पक्के मकानों के मामले में सर्वाधिक आंकड़ा अजमेर में 98 प्रतिशत टोंक में 89 प्रतिशत जबकि जयपुर में न्यूनतम 19.1 प्रतिशत पाया गया।
- ➢ मिश्रित श्रेणी के मकानों के मामले में सर्वाधिक प्रतिशत जयपुर में 53.2 प्रतिशत पाया गया।

मकानों के प्रकार एवं बनावट श्रेणी के बारे में प्राप्त परिणामों (सारणी सं. 7 एवं 8) के आधार पर कहा जा सकता है कि कुछ एक शहरी क्षेत्रों में शहरी मुस्लिम परिवारों की आवासीय स्थिति ठीक है लेकिन आज भी बहुत से शहरी मुस्लिम परिवार ऐसे हैं जिन्हे किराए के मकानों, अस्थाई आवासीय बसेरों अथवा कच्चे मकानों में रहना पड़ रहा है। जिससे इन लोगों को आवास संबंधित मूलभूत आवश्यकता को पूरा करने में संघर्ष भी करना पड़ रहा है।

- **मकानों में उपलब्ध सुविधाएंः** आवासीय स्थिति के बारे में जानकारी जुटाने के बाद सर्वे अध्ययन के दौरान इन परिवारों हेतु आवासों में अन्य आवश्यकताओं यथा नल, बिजली, सीवरेज आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की गई।

- ➢ सर्वे से प्राप्त परिणामों के अनुसार 8.4 प्रतिशत परिवारों के पास बिजली कनेक्शन नहीं पाया गया जिसमें सर्वाधिक आंकड़ा उदयपुर में 28 प्रतिशत पाया गया। टोंक एवं जयपुर में यह आंकड़ा क्रमशः 10 एवं 8 प्रतिशत पाया गया।
- ➢ सर्वे में शामिल परिवारों में से 15.3 प्रतिशत परिवारों के पास नल कनेक्शन नहीं पाया गया जिसमें सर्वाधिक आंकड़ा उदयपुर में 52 प्रतिशत पाया गया जो कि एक चिंताजनक स्थिति कही जा सकती है। जयपुर में यह आंकड़ा 18 प्रतिशत के साथ दूसरे स्थान पर पाया गया।
- ➢ प्राप्त परिणामों के अनुसार करीब 44.3 प्रतिशत परिवारों के पास गैस कनेक्शन का अभाव पाया गया। उदयपुर में सर्वाधिक 79.6 प्रतिशत परिवारों के पास गैस कनेक्शन नहीं पाया गया जबकि इसके पश्चात कोटा, जयपुर एवं अजमेर में यह आंकड़ा क्रमशः 49.0, 42.2 एवं 35.3 प्रतिशत पाया गया।
- ➢ इसके अलावा 9.8 प्रतिशत परिवारों के पास शौचालय सुविधा का अभाव पाया गया जिसके चलते परिवार की महिलाओं समेत सभी सदस्यों को बाहर खुले में शौचनिवृत्ति हेतु जाना पड़ता है जो कि बेहद खराब स्थिति कही जा सकती है। इस मामले में भी

उदयपुर में सर्वाधिक 41.7 प्रतिशत परिवारों के पास शौचालय सुविधा का अभाव पाया गया जयपुर में यह आंकड़ा 11.1 प्रतिशत पाया गया जबकि अजमेर में न्यूनतम 2.0 प्रतिशत पाया गया।

इस प्रकार सर्वे से प्राप्त परिणामों के अनुसार शहरी क्षेत्रों में रह रहे इन मुस्लिम परिवारों को न केवल आवासीय सुविधाओं हेतु जूझना पड़ रहा है अपितु इससे संबंधित अन्य आवश्यकताओं के लिए भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नल कनेक्शन से अभावग्रस्त 80 प्रतिशत परिवारों को घर से दूर सार्वजनिक नल से पानी लाना पड़ रहा है। शहरी ईलाकों में इन आवश्यकताओं के मामले में जिस प्रकार कमी पाई गई है उस आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे मुस्लिम परिवारों की स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। बिजली, पानी, शौचालय जैसी आवश्यक सुविधाओं के मामले में आज भी मुस्लिम समुदाय में एक बड़ा तबका वंचित है जिसके लिए सरकार द्वारा और अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

9. मुस्लिम परिवारों की स्वयं सहायता समूहों में भागीदारी

गौरतलब है कि आजकल केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा बहुत सी योजनाओं का संचालन स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से किया जा रहा है। इसके तहत इन स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षण एवं ऋण जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाकर इन्हे सशक्त बनाने का प्रयास किया जाता है। इन समूहों के माध्यम से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं का क्रियान्वन एवं इनके लाभों को समाज के निचले स्तर तक पहुंचाया जाता है। अतः सर्वे अध्ययन के दौरान शामिल शहरी क्षेत्रों के मुस्लिम परिवारों की स्वयं सहायता समूहों में भागीदारी के बारे में प्राप्त परिणाम इस प्रकार हैं:

- प्राप्त परिणामों के अनुसार सर्वे में शामिल परिवारों में से केवल 12.3 प्रतिशत परिवारों का कम से कम एक सदस्य स्वयं सहायता समूहों का सदस्य पाया गया। जिसमें सर्वाधिक आंकड़ा टोंक में 40 प्रतिशत पाया गया। अजमेर एवं जयपुर में यह आकंड़ा क्रमशः 17.6 प्रतिशत एवं 4.0 प्रतिशत पाया गया।
- स्वयं सहायता समूहों से जुड़े परिवारों में से 57.1 प्रतिशत परिवारों ने बताया कि उनके स्वयं सहायता समूह का संचालन सामाजिक संस्था के माध्यम से किया जा रहा है, जबकि 14.1 प्रतिशत परिवारों के अनुसार इन समूहों का संचालन सरकार द्वारा किया जा रहा है एवं 25.7 प्रतिशत परिवारों के अनुसार इनके समूहों का संचालन निजी स्तर पर किया जा रहा है।
- स्वयं सहायता समूहों से जुड़े परिवारों में से केवल 17.8 प्रतिशत परिवारों के सदस्यों ने इन समूहों के माध्यम से सामूहिक ऋण लिया है जिसमें सर्वाधिक प्रतिशत टोंक में 84.2 प्रतिशत, जबकि जोधपुर में यह आंकड़ा न्यूनतम 6 प्रतिशत पाया गया।
- स्वयं सहायता समूहों से जुड़े परिवारों में से केवल 16.1 प्रतिशत परिवारों के सदस्यों ने इन समूहों के माध्यम से व्यक्तिगत ऋण लिया है जिसमें सर्वाधिक प्रतिशत टोंक में 94.4 प्रतिशत जबकि अजमेर में यह आंकड़ा 25 प्रतिशत पाया गया।

अतः प्राप्त परिणामों के आधार पर स्पष्ट है कि शहरी क्षेत्र के इन मुस्लिम परिवारों में स्वयं सहायता समूहों के प्रति जुड़ाव बहुत कम है और यदि कुछ क्षेत्रों में जुड़ाव है भी तो वह सामाजिक संस्थाओं अथवा निजी स्तर पर किए गये प्रयासों के कारण हुआ है। इस क्षेत्र में सरकार की ओर से अधिक प्रयास करके अधिक से अधिक लोगों को स्वयं सहायता समूहों से जोड़े जाने के प्रयास किए जाने चाहिए ताकि इन समूहों के माध्यम से लोगों का सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण किया जा सके।

10. अल्पसंख्यक मामलात विभाग एवं इसके द्वारा संचालित योजनाएं

राज्य में अल्पसंख्यकों से जुड़े मामलों एवं योजनाओं से संबंधित सभी विभागीय प्रक्रियाओं को हल करने के लिए 9 दिसम्बर 2009 को राज्य अल्पसंख्यक विभाग अधिसूचित किया गया था। इसके पश्चात दिनांक 15 दिसम्बर 2010 को राज्य मंत्रीमंडल की अनुमति से राजस्थान हज कमेटी और राजस्थान मदरसा बोर्ड के प्रशासनिक नियंत्रण एवं प्रबंधन से जुड़े अधिकार भी राज्य अल्पसंख्यक विभाग को स्थानांतरित कर दिये गये। वर्तमान से अल्पसंख्यकों के कल्याण एवं विकास से जुड़ी सभी योजनाओं को अल्पसंख्यक विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है।

दिनांक 19 दिसम्बर 2009 को राज्य सरकार द्वारा जारी सूचना पत्र के अनुसार अल्पसंख्यकों से जुड़े 8 विषयों यथा–प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम, प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति, मेरिट कम मीन्स छात्रवृति, मौलाना आजाद शिक्षण फाउंडेशन से जुड़े मामले, राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग, राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक वित्त और विकास कॉर्पोरेशन एवं अल्पसंख्यकों के कल्याण से जुड़े मामले, अल्पसंख्यक मामलात विभाग को स्थानान्तरित किए गये। इस तरह अल्पसंख्यक विभाग का सीधा संबंध अल्पसंख्यकों के कल्याण एवं विकास से है। अतः यह आवश्यक है कि अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को इस विभाग के बारे में प्रारंभिक जानकारी हो। सर्वे अध्ययन के दौरान इस विषय के बारे में जानकारी जुटाने के उद्देश्य से शहरी क्षेत्रों के मुस्लिम परिवारों से इस बारे में भी चर्चा की गई जिससे प्राप्त परिणाम निम्न प्रकार हैं :

- सर्वे से प्राप्त परिणामों के अनुसार केवल 14.6 प्रतिशत शहरी मुस्लिम परिवारों ने स्वीकार किया कि उन्हें अल्पसंख्यक मामलात विभाग के बारे में थोड़ी जानकारी है जबकि शेष 85.7 प्रतिशत परिवारों में इस बारे में जानकारी का अभाव पाया गया।
- टोंक में अल्पसंख्यक मामलात विभाग के बारे में जानकारी रखने वाले परिवारों का सर्वाधिक प्रतिशत (32.0 प्रतिशत) पाया गया जबकि जयपुर, जोधपुर और कोटा में यह आंकड़ा क्रमशः 20.0 प्रतिशत, 19.6 प्रतिशत एवं 7.8 प्रतिशत पाया गया।
- अल्पसंख्यक मामलात विभाग के बारे में जानकारी रखने वाले शहरी मुस्लिम परिवारों में से केवल 9.7 प्रतिशत परिवारों ने बताया कि वे कभी विभाग के कार्यालय में किसी कार्यवश गये हैं जबकि शेष 90.3 प्रतिशत परिवार कभी भी विभाग के कार्यालय में नहीं गये।

- विभाग के कार्यालय जाने वाले लोगों में सर्वाधिक आंकड़ा कोटा में 50 प्रतिशत पाया गया जबकि इसके पश्चात जयपुर, अजमेर व टोंक में यह क्रमशः 18.8 प्रतिशत, 10 प्रतिशत एवं 7.7 प्रतिशत पाया गया।

अल्पसंख्यक मामलात विभाग के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी :

- **उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्रि योजना** : इस योजना के तहत आर्थिक रुप से कमजोर परिवारों के अल्पसंख्यक वर्ग के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा (उच्च माध्यमिक एवं उच्च कक्षाओं) के अध्ययन हेतु छात्रवृति प्रदान की जाती है। योजना के बारे में अधिक जानकारी अल्पसंख्यक मामलात विभाग की वेबसाईट अथवा कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
- इस योजना के बारे में 32.3 प्रतिशत परिवारों में जानकारी पाई गई जबकि शेष 67.7 प्रतिशत परिवारों में इस योजना के बारे में जानकारी का अभाव पाया गया। योजना के बारे मे सर्वाधिक जानकारी अजमेर शहर में जबकि न्यूनतम जानकारी जयपुर शहर के परिवारों में पाई गई।
- **अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं हेतु कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम** : इस योजना के तहत अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं को उनकी क्षमता एवं अभिरुची के अनुसार रोजगार संवर्धन हेतु कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद अपनी आजीविका चला सकें।
- इस योजना के बारे में 18.3 प्रतिशत परिवारों में जानकारी पाई गई जबकि शेष 81.7 प्रतिशत परिवारों में इस योजना के बारे में जानकारी का अभाव पाया गया। योजना के बारे मे सर्वाधिक जानकारी जोधपुर शहर में जबकि न्यूनतम जानकारी उदयपुर एवं अजमेर शहर के परिवारों में पाई गई।
- **अनुप्रति योजना** : इस योजना के तहत अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियो को प्रतियोगी परीक्षा यथा भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा, राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा के अलावा IITs, IIMs एवं राष्ट्रीय स्तर के मेडिकल कॉलेजों इत्यादि शीर्ष शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु प्रेरित करने के लिए भी प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान है। योजना के बारे में अधिक जानकारी अल्पसंख्यक मामलात विभाग की वेबसाईट अथवा कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
- इस योजना के बारे में 7.4 प्रतिशत परिवारों में जानकारी पाई गई जबकि शेष 92.6 प्रतिशत परिवारों में इस योजना के बारे में जानकारी का अभाव पाया गया। योजना के बारे मे सर्वाधिक जानकारी जोधपुर शहर में जबकि न्यूनतम जानकारी कोटा व उदयपुर शहरों के परिवारों में पाई गई।
- **अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम** : इस योजना का प्रमुख उद्‌देश्य अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं को सामूहिक रुप से प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हे सरकारी व वित्तीय संस्थाओं की गतिविधीयों से अवगत करा

उनका सशक्तिकरण करना है। इस योजना के तहत अल्पसंख्यक वर्ग की इन महिलाओं को वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। प्रशिक्षण के तहत उन्हे महिलाओं के अधिकार, शिक्षा, आजीविका समेत केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं से जुड़े विषयों के बारे में भी जानकारी प्रदान की जाती है।

- इस योजना के बारे में 13.2 प्रतिशत परिवारों में जानकारी पाई गई जबकि शेष 86.8 प्रतिशत परिवारों में इस योजना के बारे में जानकारी का अभाव पाया गया। योजना के बारे मे सर्वाधिक जानकारी जोधपुर शहर में जबकि न्यूनतम जानकारी अजमेर व उदयपुर शहर के परिवारों में पाई गई।

इस प्रकार उपरोक्त परिणामों के आधार पर कहा जा सकता है कि राज्य के शहरी मुस्लिम परिवारों के बीच अल्पसंख्यक मामलात विभाग को लेकर अभी ज्यादा जागरुकता नहीं आई है। जबकि लोगों को यह बताये जाने की आवश्यकता है कि इस विभाग का गठन अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के विकास एवं कल्याण हेतु किया गया है। इस सन्दर्भ में विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में लोगों को पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। जबकि इसके विपरीत विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के प्रति भी इन परिवारों का बहुत कम झुकाव है। इन सन्दर्भ में सरकार के साथ–साथ सामाजिक संगठनों को भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने की आवश्यकता है जिससे राज्य के मुस्लिम परिवारों के विकास एवं कल्याण हेतु बनाये गये अल्पसंख्यक मामलात विभाग तक ज्यादा से ज्यादा लोगों की पहुंच हो सके एवं ज्यादा से ज्यादा लोग विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से लाभान्वित हो सकें।

11. सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में जानकारी एवं पहुंच

जैसा कि पहले भी बताया गया है कि केन्द्र व राज्य सरकारें आम आदमी के विकास एवं कल्याण हेतु प्रतिवर्ष अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित करती हैं। इन योजनाओं का प्रबंधन व क्रियान्वयन सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के द्वारा किया जाता है जिसके लिए सरकार प्रतिवर्ष बजट के रुप में एक बड़ी राशि इन योजनाओं के माध्यम से खर्च करती है। ये योजनाएं विभिन्न जरुरतमंदों के लिंग, आयु, जाति, शारीरिक व आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती हैं।

अतः सर्वे अध्ययन के दौरान केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में शहरी क्षेत्रों के मुस्लिम परिवारों में जानकारी व आवेदन से संबंधित जानकारी जुटाने का प्रयास किया गया। योजनाओं के बारे में सर्वे से प्राप्त परिणाम निम्न प्रकार हैं :

- **मुख्यमंत्री बी.पी.एल. आवास योजना** : राज्य के स्थानीय निकाय एवं शहरी विकास विभाग द्वारा चलाई जा रही इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों के चयनित बी.पी. एल. परिवारों को आवास निर्माण हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। इस योजना के बारे में 22.4 प्रतिशत परिवारों में जानकारी पाई गई जबकि शेष 77.6 प्रतिशत परिवारों में जानकारी अभाव पाया गया। योजना के बारे मे सर्वाधिक जानकारी टोंक शहर में 42.0 प्रतिशत जबकि न्यूनतम जानकारी जयपुर शहर के परिवारों में 4.0 प्रतिशत पाई गई।
- **जननी सुरक्षा योजना** : राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही इस योजना के तहत संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने हेतु सरकारी अथवा मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों में प्रसव करवाने वाली महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के बारे में 30.8 प्रतिशत परिवारों में जानकारी पाई गई। योजना के बारे मे सर्वाधिक जानकारी कोटा शहर में जबकि न्यूनतम जानकारी जयपुर शहर के परिवारों में पाई गई।
- **बालिका संबल योजना** : राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही इस योजना के तहत पुत्रहीन दम्पति को एक या दो बालिका पर नसबंदी करवाने पर 5 वर्ष की बालिका के नाम से 10,000 रु. के बॉण्ड उपलब्ध करवाये जाते हैं। इस योजना के बारे में केवल 3.6 प्रतिशत परिवारों में जानकारी पाई गई। योजना के बारे मे सर्वाधिक जानकारी टोंक शहर में जबकि न्यूनतम जानकारी जयपुर व अजमेर शहर के परिवारों में पाई गई।
- **ज्योति योजना** : राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही इस योजना के तहत एक या दो बालिकाओं पर नसबंदी करवाने वाली महिलाओं को रोल मॉडल के रुप में विकसित कर स्वास्थ्य सेवा, रोजगार व शिक्षा के क्षेत्र में

प्राथमिकता प्रदान किए जाने की योजना है। इस योजना के बारे में केवल 1.0 प्रतिशत परिवारों में जानकारी पाई गई। योजना के बारे मे सर्वाधिक जानकारी टोंक शहर के परिवारों में पाई गई।

- **महिला उद्योग योजना** : राज्य के उद्योग विभाग द्वारा चलाई जा रही इस योजना के तहत महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हे अन्य उद्योगों में रोजगार अथवा स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहित किया जाता है इसके लिए उन्हे ऋण सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाती है। इस योजना के बारे में केवल 6.8 प्रतिशत परिवारों में जानकारी पाई गई। योजना के बारे मे सर्वाधिक जानकारी टोंक शहर में 20.0 प्रतिशत परिवारों में पाई गई।
- **उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम** : राज्य के उद्योग विभाग द्वारा चलाई जा रही इस योजना के तहत राज्य के शिक्षित व बेरोजगार पुरुष एवं महिलाओं को मार्गदर्शन व योग्यता प्रदान कर स्वरोजगार हेतु प्रेरित किया जाता है। इस योजना के बारे में केवल 1.3 प्रतिशत परिवारों में जानकारी पाई गई। योजना के बारे मे सर्वाधिक जानकारी टोंक शहर के परिवारों में पाई गई।
- **शहरी हाट योजना** : राज्य के उद्योग विभाग द्वारा चलाई जा रही इस योजना के तहत राज्य के निर्धनतम बीपीएल परिवारों, हस्तशिल्पियों, स्वयं सहायता समूहों, लघु उद्यमियों को मार्केटिंग/विपणन सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। इस योजना के बारे में केवल 2.6 प्रतिशत परिवारों में जानकारी पाई गई। योजना के बारे मे सर्वाधिक जानकारी टोंक शहर के परिवारों में पाई गई।
- **स्वास्थ्य बीमा योजना** : राज्य के उद्योग विभाग द्वारा चलाई जा रही योजना स्वास्थ्य बीमा योजना का उद्देश्य राज्य में बुनकर समुदाय को सर्वोत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय रूप से सक्षम बनाना है। इस योजना के बारे में 7.8 प्रतिशत परिवारों में जानकारी पाई गई। योजना के बारे मे सर्वाधिक जानकारी उदयपुर के परिवारों में 24.0 प्रतिशत पाई गई जबकि अजमेर शहर में यह आंकड़ा न्यूनतम पाया गया।
- **प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम** : प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का उद्देश्य सम्पूर्ण भारत में आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराना है। इस योजनान्तर्गत अभ्यर्थी को उनकी परियोजना के आधार पर सेवा कार्य के लिए अधिकतम 10.00 लाख रु. तथा उद्योग हेतु अधिकतम 25.00 लाख रु. तक की परियोजना लगाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है। इस कार्यक्रम के बारे में 5.5 प्रतिशत परिवारों में जानकारी पाई गई। योजना के बारे मे सर्वाधिक जानकारी उदयपुर शहर के परिवारों में 11.1 प्रतिशत पाई गई जबकि जयपुर व जोधपुर शहरों के परिवारों में यह आंकड़ा न्यूनतम पाया गया।

- **मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना** : राज्य के उद्योग विभाग द्वारा चलाई जा रही इस योजना के तहत हस्तशिल्पी, दस्तकार एवं प्रशिक्षित युवाओं को कम ब्याज दर पर वित्तीय संस्थानों/बैंकों से 2.00 लाख रू. तक का ऋण दिलाए जाने का प्रावधान है ताकि वे स्वयं का व्यवसाय स्थापित कर आत्मनिर्भर हो सकें। इस योजना के बारे में केवल 1.3 प्रतिशत परिवारों में जानकारी पाई गई। योजना के बारे मे सर्वाधिक जानकारी टोंक शहर के परिवारों में 6.1 प्रतिशत पाई गई।
- **अन्नपूर्णा योजना** : राज्य के खाद्य विभाग द्वारा चलाई जा रही इस योजना के तहत 65 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने वाले बुजुर्गों को प्रतिमाह 10 किग्रा गेहुं निःशुल्क दिए जाने का प्रावधान है। इस योजना के बारे में 2.3 प्रतिशत परिवारों में जानकारी पाई गई। योजना के बारे मे सर्वाधिक जानकारी कोटा शहर के परिवारों में 7.8 प्रतिशत पाई गई।
- **अन्त्योदय योजना** : इस योजना के तहत भारत सरकार द्वारा आवंटित लक्ष्य के अनुरुप बी.पी.एल. परिवारों में से अत्यधिक गरीब परिवारों का चयन किया जाता है। योजना में चयनित परिवारों को प्रतिमाह 35 किलो खाद्यान्न (गेहुं 2 रु. प्रति किलो की दर से प्रति परिवार एवं चावल 3 रु. प्रतिकिलो की दर से प्रति परिवार) दिया जाता है। इस योजना के बारे में 2.9 प्रतिशत परिवारों में जानकारी पाई गई। योजना के बारे मे सर्वाधिक जानकारी जयपुर शहर के परिवारों में 12.0 प्रतिशत पाई गई।
- **समूह जन श्री बीमा योजना** : यह योजना भवन और अन्य निर्माण कर्मकारों को कार्य के दौरान रास्ते में अथवा कार्यस्थल पर दुर्घटना होने पर जीवन बीमा निगम की ओर से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। जिसके तहत सदस्य की मृत्यु होने पर अथवा दुर्घटना की स्थिति में अपंगता होने पर रूपए 75,000/– श्रमिक/आश्रित को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के बारे में 1.0 प्रतिशत परिवारों में जानकारी पाई गई। योजना के बारे मे सर्वाधिक जानकारी टोंक शहर के परिवारों में पाई गई।
- **आपकी बेटी योजना** : यह योजना राज्य के राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक अध्ययनरत प्रथम वरीयता में आने वाली बालिका जो कि बी.पी.एल. परिवारों से हैं और जिनके माता पिता दोनों अथवा किसी एक का निधन हो गया हो, के लिए है। योजनान्तर्गत कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत बालिकाओं को 1100 रु. प्रतिवर्ष एवं कक्षा 9 से 12 तक अध्ययनरत बालिकाओं को 1500 रु. प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के बारे में 3.2 प्रतिशत परिवारों में जानकारी पाई गई। योजना के बारे मे सर्वाधिक जानकारी टोंक शहर के परिवारों में 10.0 प्रतिशत पाई गई।

- **पन्नाधाय जीवन अमृत योजना (जन श्री बीमा योजना)** : योजना के तहत प्रत्येक बी.पी.एल. परिवार को बीमा लाभ के साथ परिवार के आश्रित दो पुत्रों/पुत्रियों को कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत रहने की स्थिति में 300 रु. त्रैमासिक की दर से 1200 रु. वार्षिक छात्रवृति दी जा रही है। इस योजना के बारे में 7.8 प्रतिशत परिवारों में जानकारी पाई गई। योजना के बारे मे सर्वाधिक जानकारी उदयपुर के परिवारों में 24.0 प्रतिशत, जबकि अजमेर शहर में यह आंकड़ा न्यूनतम पाया गया।
- **स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना** : केन्द्र सरकार की इस योजना के तहत बी. पी.एल. परिवारों के व्यक्तियों को स्वरोजगार हेतु विभिन्न व्यवसायों का प्रशिक्षण एवं स्वयं के व्यवसाय की स्थापना हेतु परियोजना लागत के अनुसार अनुदान सहित ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। इस योजना के बारे में 2.6 प्रतिशत परिवारों में जानकारी पाई गई। योजना के बारे मे सर्वाधिक जानकारी टोंक शहर के परिवारों में पाई गई।
- **विकलांग पेंशनधारियों को व्यावसाय हेतु सहायता योजना** : इस योजना के तहत पेंशनधारी विकलांग व्यक्ति को स्वावलम्बी बनाने के उद्देश्य से मासिक पेंशन के स्थान पर एक मुश्त 15000 रु. की राशि दिए जाने का प्रावधान है। इस योजना के बारे में 24.4 प्रतिशत परिवारों में जानकारी पाई गई। योजना के बारे मे सर्वाधिक जानकारी कोटा शहर के परिवारों में 86.3 प्रतिशत, जबकि अजमेर शहर में यह आंकड़ा न्यूनतम पाया गया।

संक्षिप्त में, सर्वे से प्राप्त परिणामों के आधार पर यह स्पष्ट है कि मुस्लिम परिवारों में सरकारी योजनाओं के प्रति न केवल जानकारी का अभाव है अपितु जानकारी रखने वाले लोगों तक भी इन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। जननी सुरक्षा योजना जैसी कुछ योजनाओं के अलावा कोई भी ऐसी योजना नहीं पाई गई जिसके प्रति लोगों में पर्याप्त जानकारी हो और उन्हे इन योजनाओं का लाभ मिल पा रहा हो। जबकि सैद्धान्तिक तौर पर देखा जाए तो इन योजनाओं से लाभान्वित होने के उपरान्त पिछड़े वर्ग के लोगों की दशा में बहुत हद तक सुधार लाया जा सकता है। लेकिन योजनाओं तक लोगों की पर्याप्त पहुंच विशेषतौर पर मुस्लिम परिवारों की पहुंच बहुत कम होने का कारण इन लोगों में जागरुकता का अभाव तथा सरकारी ढांचे में व्याप्त कमियां भी हैं। जिसके कारण इन लोगों तक इन योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पाता और परिस्थितियां जस की तस बनी हुई हैं जिनमें सुधार किए जाने के लिए न सिर्फ सामाजिक अपितु सरकारी चेतना की भी आवश्यकता है।

अध्ययन के निष्कर्ष

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र, जयपुर द्वारा राजस्थान राज्य के सन्दर्भ में शहरी क्षेत्रों में मुस्लिम परिवारों की सरकारी योजनाओं तक पहुंच विषय आधारित सर्वे अध्ययन करवाया गया। सर्वे राज्य के 6 शहरों यथा अजमेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, टोंक एवं उदयपुर के 308 परिवारों पर किया गया। सर्वे अध्ययन के दौरान उपरोक्त शहरी क्षेत्रों में मुस्लिम परिवारों के कल्याण हेतु कार्यरत स्थानीय सामाजिक संस्थाओं ने सहायता प्रदान की। सर्वे से प्राप्त निष्कर्ष इस प्रकार हैं :

सर्वे अध्ययन : एक परिचय

- 2001 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में 18.4 प्रतिशत अल्पसंख्यक वर्ग शामिल हैं जिनमें मुस्लिम 13.4 प्रतिशत, ईसाई 2.3 प्रतिशत, सिक्ख 1.9 प्रतिशत, बौद्व 0.8 प्रतिशत एवं पारसी 0.007 प्रतिशत हैं।
- अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु सरकार द्वारा केन्द्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक मामलात मंत्रालय एवं राज्य स्तर पर अल्पसंख्यक मामलात विभाग का गठन किया गया है।
- प्रधानमंत्री का 15 सुत्रीय कार्यक्रम : अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु 15 अगस्त 2005 को तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा घोषणा की गई जबकि अक्टूबर 2009 में कार्यक्रम का संशोधित प्रारुप पेश किया गया।
- अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में आवश्यक विकास की कमी को दूर करने हेतु बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम लागू किया गया जिसके तहत देश के 90 जिलों को अल्पसंख्यक गहन जिले (MCDs) के रुप में चिन्हित कर एक बेसलाईन सर्वे करवाया गया।
- मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति पर रिपोर्ट की तैयारी के लिए नौ मार्च 2005 को न्यायमूर्ति राजिन्दर सच्चर की अध्यक्षता में सच्चर समिति का गठन किया गया समिति द्वारा 17 नवंबर 2006 को रिपार्ट पेश की गई।

अध्ययन के परिणाम

राज्य में मुस्लिम वर्ग : सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति

- सर्वे में शामिल कुल परिवारों में से करीब 72.4 प्रतिशत परिवार सामान्य श्रेणी वर्ग के पाये गये जबकि शेष 27.6 प्रतिशत परिवार अन्य पिछड़ा वर्ग से लिए गये।
- सर्वाधिक 59.4 प्रतिशत परिवार मध्यम आकार के पाये गये जिनमें सदस्य संख्या 4 से 6 बीच है करीब 17.9 प्रतिशत परिवार वृहद आकार के पाये गये जिनमें सदस्य संख्या 7 से 9 के बीच पाई गई। इन परिवारों में प्रति परिवार औसतन सदस्य संख्या 5.12 पाई गई।

- सर्वाधिक 37.1 प्रतिशत परिवार प्राथमिक स्तर तक शिक्षित पाये गये जबकि करीब 5.2 प्रतिशत परिवारों में निरक्षरता पाई गई। सर्वाधिक निरक्षरता उदयपुर शहर के परिवारों में 18.5 प्रतिशत पाई गई।
- इन परिवारों में 18 वर्ष से अधिक आयु वाले सदस्यों में से करीब 1.1 प्रतिशत सदस्य पूर्ण रुप से बेरोजगार पाये गये जिनमें सर्वाधिक 4.3 प्रतिशत सदस्य उदयपुर में बेरोजगार पाये गये। इस समुदाय में एक बहुत बड़ा तबका (करीब 82.7 प्रतिशत) अन्य कार्यों मे लगा हुआ है जिनमें साईकिल रिक्शा/ऑटो रिक्शा चालक, प्राईवेट बस चालक/परिचालक, फुटपाथ विक्रेता, मजदूरी के अलावा दस्तकारी एवं हस्तकला (मीनाकारी, कशीदाकारी, सजावट आदि) से जुड़े कार्यों में संलग्न हैं।
- करीब 39.94 प्रतिशत परिवारों की मासिक आय 6000 रु. से अधिक पाई गई एवं करीब 27.59 प्रतिशत परिवारों की मासिक आय 3000 रु. से कम पाई गई जिसमें भी 10.06 प्रतिशत परिवारों की आय 1500 रु. से भी कम पाई गई।

मुस्लिम परिवारों के बच्चे एवं सरकारी योजनाएं

- करीब 74.1 प्रतिशत परिवारों के 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे आंगनबाड़ी केन्द्रों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। जयपुर शहर में यह आंकड़ा न्यूनतम 11.8 प्रतिशत पाया गया।
- आंगनबाड़ी केन्द्रों में जाने वाले 28 प्रतिशत बच्चे पोषाहार से वंचित हैं। जयपुर शहर में तो पोषाहार से वंचित इन बच्चों का आंकड़ा 33.3 प्रतिशत एवं जोधपुर में 21.1 प्रतिशत पाया गया।
- आंगनबाड़ी केन्द्रों पर जाने वाले 43.1 प्रतिशत बच्चे खेल सामग्री से वंचित हैं जबकि कोटा में तो 60 प्रतिशत, बच्चे इस सामग्री से वंचित हैं। जयपुर, जोधपुर में यह आंकड़ा क्रमशः 33.3 एवं 41.2 प्रतिशत है।
- ऐसे परिवार जिनमें कम से कम एक 6 वर्ष से कम आयु का बच्चा है, में से 46.4 प्रतिशत परिवारों ने टीकाकरण कार्ड नहीं बनवाया। सर्वाधिक 90.9 प्रतिशत कोटा शहर, अजमेर 88.5 प्रतिशत एवं टोंक में 73.3 प्रतिशत परिवारों ने टीकाकरण कार्ड बनवाया है। जयपुर में यह आंकड़ा मात्र 30.8 प्रतिशत पाया गया।
- जिन बच्चों के टीकाकरण कार्ड बनवाये जा चुके हैं, उनमें से भी केवल 56.1 प्रतिशत बच्चों को उनकी उम्र के अनुसार पर्याप्त टीके लगे हैं।
- 6 से 14 वर्ष तक की आयु के 9.7 प्रतिशत बच्चे अभी भी विद्यालयी शिक्षा से वंचित है। जिनमें सर्वाधिक 35.6 प्रतिशत बच्चे जयपुर शहर के हैं।
- विद्यालय जा रहे इन बच्चों में से मात्र 39.0 प्रतिशत बच्चे ही सरकारी विद्यालयों में जा रहे है जबकि 54.2 प्रतिशत बच्चे निजी विद्यालयों में एवं शेष 6.8 प्रतिशत बच्चे मदरसा या अन्य किसी शिक्षण संस्थान में जा रहे हैं।

- विद्यालय जाने वाले मात्र 35 प्रतिशत बच्चों को पोषाहार मिल रहा है और जिन बच्चों को पोषाहार मिल रहा है उनमें से 7.2 प्रतिशत के अनुसार मिड–डे–मील की गुणवत्ता खराब है।
- विद्यालयी शिक्षा से वंचित बच्चों के परिवारों से इन बच्चों को स्कूल नहीं भेजे जाने का कारण पूछे जाने पर करीब 47.2 प्रतिशत परिवारों ने धन की कमी को सबसे बड़ा कारण बताया।
- 14 से 18 वर्ष आयु के 38.3 प्रतिशत बच्चे विद्यालय नहीं जा रहे हैं उदयपुर में सर्वाधिक 60.7 प्रतिशत, जयपुर में 50 प्रतिशत एवं टोक में 42.9 प्रतिशत किशोर उम्र के बच्चे विद्यालयी शिक्षा से बाहर पाये गये।

मुस्लिम परिवारों के विकलांग, विधवा एवं वृद्ध सदस्य और सरकारी योजनाएं

- सर्वे किए गये शहरी मुस्लिम परिवारों में से 9.7 प्रतिशत परिवार ऐसे पाये गये जिनमें कम से कम एक सदस्य विकलांग है। करीब 81 प्रतिशत विकलांग व्यक्तियों को किसी प्रकार की सरकारी सहायता नहीं मिली है। सर्वाधिक कोटा में 75 प्रतिशत विकलांगों को सरकारी सहायता प्राप्त हुई है।
- सर्वे किए गये शहरी मुस्लिम परिवारों में से 21.4 प्रतिशत परिवार ऐसे पाये गये जिनमें कम से कम एक सदस्य विधवा महिला है। करीब 76.9 प्रतिशत विधवा महिलाओं को किसी प्रकार की सरकारी सहायता नहीं मिली है। सर्वाधिक अजमेर में 40 प्रतिशत विधवाओं को सरकारी सहायता प्राप्त हुई है।
- शहरी मुस्लिम परिवारों में से 18.5 प्रतिशत परिवार ऐसे पाये गये जिनमें कम से कम एक सदस्य बुजुर्ग (60 वर्ष से अधिक आयु के महिला अथवा पुरुष) हैं। करीब 86.4 प्रतिशत वृद्ध सदस्यों को किसी प्रकार की सरकारी सहायता नहीं मिली है।

मुस्लिम दस्तकार परिवार एवं सरकारी योजनाएं

- सर्वे में शामिल शहरी मुस्लिम परिवारों में से 9.4 प्रतिशत परिवार ऐसे पाये गये जिनमें कोई न कोई सदस्य बुनकर, रंगरेज या लखेरा जैसे कार्यों में संलग्न हैं।

मुस्लिम परिवारों की स्वास्थ्य से जुड़ी सरकारी योजनाओं तक पहुंच

- बीमार होने पर ईलाज हेतु 51.3 प्रतिशत मुस्लिम परिवार सरकारी चिकित्सालयों में गये जबकि 47.7 प्रतिशत परिवार निजी चिकित्सालय सहित अन्य संस्थानों (निजी क्लिनिक, संस्थाओं अथवा देशी ईलाज) की सेवा प्राप्त की।
- सर्वे अध्ययन के दौरान पाया गया कि सरकारी अस्पतालों में ईलाज हेतु जाने वाले लोगों में से करीब 64.4 प्रतिशत को निःशुल्क दवाईयां नहीं मिली अथवा कम मिली जो कि उन्हें बाजार से खरीदनी पड़ी।

- बीपीएल परिवारों में से गंभीर बीमारी अथवा दुर्घटना से पीड़ित सदस्यों के परिवारों में से मात्र 16.3 प्रतिशत परिवारों में मुख्यमंत्री बी.पी.एल. जीवन रक्षा कोष योजना के बारे में जानकारी पाई गई।

मुस्लिम परिवारों की सार्वजनिक वितरण प्रणाली तक पहुंच

- सर्वे में शामिल किए गये शहरी मुस्लिम परिवारों से प्राप्त जवाब के अनुसार 15.3 प्रतिशत परिवारों का राशन कार्ड नहीं बना हुआ पाया गया। करीब 60 प्रतिशत परिवारों के पास ए.पी.एल. श्रेणी के राशन कार्ड पाये गये, 28.5 प्रतिशत परिवारों के पास बी.पी.एल. श्रेणी के, 7.7 प्रतिशत राशन कार्ड अन्त्योदय श्रेणी के एवं 3.8 प्रतिशत राशन कार्ड राज्य बी.पी.एल. श्रेणी के पाये गये।
- सर्वे से प्राप्त परिणामों के अनुसार राशनकार्ड धारक परिवारों में से 71.4 प्रतिशत परिवारों ने बताया कि उन्होंने पिछले 3 माह की अवधि में राशन कार्ड द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन सामग्री प्राप्त की है। प्राप्त परिणामों के अनुसार करीब 11.9 प्रतिशत परिवारों ने बताया कि राशन प्रणाली के तहत मिलने वाले आटे की गुणवत्ता खराब होती है जबकि 12.8 प्रतिशत परिवारों ने मिलने वाले गेहूं की गुणवत्ता को खराब बताया।

मुस्लिम परिवारों का आवासीय स्तर एवं आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता

- करीब 66.6 प्रतिशत परिवारों के पास स्वयं का मकान पाया गया, 32.1 प्रतिशत परिवार किराए के मकान में रह रहे हैं एवं शेष 1.3 प्रतिशत परिवार अन्य प्रकार के आवास जिनमें सरकारी क्वार्टर, अस्थायी आवास/बसेरा आदि शामिल हैं, में रह रहे हैं।
- सर्वे से प्राप्त परिणामों के अनुसार 8.4 प्रतिशत परिवारों के पास बिजली कनेक्शन नहीं पाया गया जिसमें सर्वाधिक आंकड़ा उदयपुर में 28 प्रतिशत पाया गया। सर्वे में शामिल परिवारों में से 15.3 प्रतिशत परिवारों के पास नल कनेक्शन नहीं पाया गया जिसमें सर्वाधिक आंकड़ा उदयपुर में 52 प्रतिशत पाया गया। प्राप्त परिणामों के अनुसार करीब 44.3 प्रतिशत परिवारों के पास गैस कनेक्शन का अभाव पाया गया।

मुस्लिम परिवारों की स्वयं सहायता समूहों में भागीदारी

- प्राप्त परिणामों के अनुसार सर्वे में शामिल परिवारों में से केवल 12.3 प्रतिशत परिवारों का कम से कम एक सदस्य स्वयं सहायता समूहों का सदस्य पाया गया।
- स्वयं सहायता समूहों से जुड़े परिवारों में से केवल 17.8 प्रतिशत परिवारों के सदस्यों ने इन समूहों के माध्यम से सामूहिक ऋण लिया है। जबकि केवल 16.1 प्रतिशत परिवारों के सदस्यों ने इन समूहों के माध्यम से व्यक्तिगत ऋण लिया है।

अल्पसंख्यक मामलात विभाग एवं इसके द्वारा संचालित योजनाएं

- सर्वे से प्राप्त परिणामों के अनुसार केवल 14.6 प्रतिशत शहरी मुस्लिम परिवारों ने स्वीकार किया कि उन्हे अल्पसंख्यक मामलात विभाग के बारे में थोड़ी जानकारी है जबकि शेष 85.7 प्रतिशत परिवारों में इस बारे में जानकारी का अभाव पाया गया।
- **उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्रि योजना** : इस योजना के बारे में 32.3 प्रतिशत परिवारों में जानकारी पाई गई ।
- **अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं हेतु कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम** : इस योजना के बारे में 18. 3 प्रतिशत परिवारों में जानकारी पाई गई।
- **अनुप्रति योजना** : इस योजना के बारे में 7.4 प्रतिशत परिवारों में जानकारी पाई गई
- **अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम** : इस योजना के बारे में 13.2 प्रतिशत परिवारों में जानकारी पाई गई

सरकार द्वारा संचालित अन्य योजनाओं के बारे में जानकारी एवं पहुंच

- **मुख्यमंत्री बी.पी.एल.आवास योजना** : योजना के बारे में 22.4 प्रतिशत परिवारों में जानकारी पाई गई
- **जननी सुरक्षा योजना** : इस योजना के बारे में 30.8 प्रतिशत परिवारों में जानकारी पाई गई।
- **बालिका संबल योजना** : इस योजना के बारे में केवल 3.6 प्रतिशत परिवारों में जानकारी पाई गई।
- **ज्योति योजना** : इस योजना के बारे में केवल 1.0 प्रतिशत परिवारों में जानकारी पाई गई। योजना के बारे मे सर्वाधिक जानकारी टोंक शहर के परिवारों में पाई गई।
- **महिला उद्योग योजना** : योजना के बारे मे सर्वाधिक जानकारी टोंक शहर में 20.0 प्रतिशत परिवारों में पाई गई।
- **उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम** इस योजना के बारे में केवल 1.3 प्रतिशत परिवारों में जानकारी पाई गई।
- **शहरी हाट योजना** : इस योजना के बारे में केवल 2.6 प्रतिशत परिवारों में जानकारी पाई गई।
- **स्वास्थ्य बीमा योजना** : इस योजना के बारे में 7.8 प्रतिशत परिवारों में जानकारी पाई गई।
- **प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम** : इस कार्यक्रम के बारे में 5.5 प्रतिशत परिवारों में जानकारी पाई गई।

- **मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना** : इस योजना के बारे में केवल 1.3 प्रतिशत परिवारों में जानकारी पाई गई।
- **अन्नपूर्णा योजना** : इस योजना के बारे में 2.3 प्रतिशत परिवारों में जानकारी पाई गई।
- **अन्त्योदय योजना** : इस योजना के बारे में 2.9 प्रतिशत परिवारों में जानकारी पाई गई।
- **समूह जन श्री बीमा योजना** : इस योजना के बारे में 1.0 प्रतिशत परिवारों में जानकारी पाई गई। योजना के बारे मे सर्वाधिक जानकारी टोंक शहर के परिवारों में पाई गई।
- **आपकी बेटी योजना** : इस योजना के बारे में 3.2 प्रतिशत परिवारों में जानकारी पाई गई। योजना के बारे मे सर्वाधिक जानकारी टोंक शहर के परिवारों में 10.0 प्रतिशत पाई गई।
- **पन्नाधाय जीवन अमृत योजना (जन श्री बीमा योजना)** : इस योजना के बारे में 7.8 प्रतिशत परिवारों में जानकारी पाई गई।
- **स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना** : इस योजना के बारे में 2.6 प्रतिशत परिवारों में जानकारी पाई गई।
- **विकलांग पेंशनधारियों को व्यावसाय हेतु सहायता योजना** : इस योजना के बारे में 24.4 प्रतिशत परिवारों में जानकारी पाई गई।

सारांश

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र, जयपुर के द्वारा राज्य के शहरी मुस्लिम परिवारों पर किए गये अध्ययन से प्राप्त परिणामों के आधार पर यह पाया गया कि राज्य में शहरी मुस्लिम परिवारों की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति बहुत कमजोर है। इसके अलावा इन परिवारों में बेरोजगारी के अलावा रोजगारशुदा परिवारों के पास भी नियमित रुप से आय प्राप्ति के संसाधनों का पर्याप्त अभाव है जिससे इन परिवारों को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। इस सन्दर्भ में सरकार द्वारा चलाई जा रही विकास योजनाओं की पहुंच भी अभी तक इन परिवारों से बहुत परे है।

शिक्षा, स्वास्थ्य एवं खाद्य सुरक्षा जैसी मूलभूत जरुरतों पर आधारित सरकारी योजनाओं का लाभ इन परिवारों तक नहीं पहुंच पा रहा है जबकि अन्य विषयों जैसे सामाजिक सुरक्षा, स्वयं सहायता समूह, रोजगार आदि से जुड़ी बहुत सी योजनाओं के बारे में राज्य के मुस्लिम परिवारों को पर्याप्त जानकारी भी नहीं है। इसी क्रम में अल्पसंख्यकों के विकास हेतु सरकार द्वारा बनाये गये अल्पसंख्यक मामलात विभाग एवं इसके द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में इन परिवारों में जानकारी नहीं पाया जाना जागरुकता के अभाव को दर्शाता है। इस सन्दर्भ में यह आवश्यक है कि राज्य के इन परिवारों तक सरकारी योजनाओं के बारे में पर्याप्त जानकारी उचित समय पर पहुंचाई जाए। इसके अलावा सरल, सहज एवं संक्षिप्त आवेदन प्रक्रिया के द्वारा जरुरतमंदों एवं योग्यजनों को इन योजनाओं से जोड़ा जाए एवं उचित समय पर इन लोगों को योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाए ताकि सामाजिक एवं आर्थिक रुप से पिछड़े परिवारों को सहायता प्रदान कर उनके जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार लाया जा सके।

बार्क के अन्य प्रकाशनों की सूची

शीर्षक	Title in English	प्रकाशन तिथि
राजस्थान में जेण्डर संवेदी बजट : एक अध्ययन	Gender Responsive Bduget in Rajasthan: A Study	नवम्बर 2013
राष्ट्रीय कृषि विकास योजनाः एक अध्ययन	Rastriya Krishi Vikas Yojna : A Study	नवम्बर 2013
पंचायत बजट मैन्युअल	Panchayat Budget Manual	सितम्बर 2012
दक्षिणी राजस्थान में शिक्षा का अधिकार : एक अध्ययन	Right To Education In Southern Rajasthan : A Study	फरवरी, 2012
बजट को वंचित समुदायों की हकदारी से जोड़ने के प्रयास	Linking Budgets To The Concerns Weaker Sections	2012
राजस्थान : वर्तमान वित्तीय स्थिति	Rajasthan : A Study of State Finances	फरवरी, 2012
भारत में राज्य बजट में पारदर्शिता : मुख्य परिणाम	Transparency in State Budget in India : Summary Fact Sheet	2011
भारत में राज्य बजट में पारदर्शिता : राजस्थान	Transparency in State Budget in India : Rajasthan	2011
बजट अध्ययनः एक परिचय	Budget Study: An Introduction	अगस्त, 2010
राज्य में खाद्य सुरक्षा एवं सम्बन्धित योजनाएं : एक अध्ययन	Food Security and Related Schemes in the State: A Study	अगस्त, 2010
कृषि ऋण–कितना सार्थक ?	Agriculture Loan: How Good	जून, 2010
लुप्त होती लघुवन उपज : खतरे में आदिवासी आजीविका	Depleting Mining Forest Produce: Threat to Tribal Livelihood	दिसम्बर, 2009
दलितों के लिए राज्य की कल्याणकारी योजनाएं	State's Welfare Schemes for Dalits	जून, 2009
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून : क्रियान्वयन में सुधार की आव यकता	NREGA: Need of Reform in Implementation	दिसम्बर, 2008
स्वजलधारा : व्यर्थ बहा जनता का पैसा	'Swajal Dhara': People's Money Drained	जुलाई, 2008
ग्रामीण लघु उद्योग क्षेत्र में सरकारी प्रयासों की कथनी–करनी : एक नजर	Reality of Government Efforts in Small Industry Sector: A Study	अप्रेल, 2008
सरकारी विकास योजनाऐं और आम आदमी तक उनकी पहुंचः एक आंकलन	Government Development Schemes and their reach to common People: An Assessment	दिसम्बर, 2007
सामाजिक सेवाओं पर व्यय (राज्य के बजट से)	Spending on Social Sector (From State Budget)	मार्च, 2007
राजस्थान में विधवाओं का अभावग्रस्त जीवन : राज्य ने क्या भूमिका निभाई?	The Destitution of Widows in Rajasthan: What role has the state played?	फरवरी, 2007
स्थानीय स्तर पर लिंग आधारित बजट (जैण्डर बजट) : कैसे करेंगे पैरवी	Gender Budget at State Level: How to do Advocacy	दिसम्बर, 2006
दलित, गरीब तथा वंचित लोगों के लिए समाज कल्याण, ग्रामीण विकास, पंचायतीराज विभाग एवं खाद्य–नागरिक आपूर्ति विभाग की कल्याणकारी योजनाएं	Welfare Schemes for Dalits, Poor and Marginalised	नवम्बर, 2006
राजस्थान में फसल बीमा : सुधार की आव यकता	Crop Insurance in Rajasthan: Need of Improvement	सितम्बर, 2006
बजट की तकनीकी शब्दावली	Budget Terminologies	सितम्बर, 2006
दलित एवं आदिवासियों के लिए बजट एवं योजनाएं	Budget and Schemes for Dalits and Tribals	नवम्बर, 2005
गरीबी हटाओ अभियानः कितना सफल–कितना असफल	'Gharibi Hatao': How Successful	

बार्क टीम : डॉ. नेसार अहमद
महेन्द्र सिंह राव
भूपेन्द्र कौशिक
बरखा माथुर
अंकुश वर्मा

सलाहकार : डॉ. जिनी श्रीवास्तव

"Budget Links Policy to People and People to Policy"

BARC

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र

पी–1, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर (राज.)
फोन / फैक्स : 0141 – 238 5254
ई–मेल : info@barcjaipur.org
वेबसाईट : www.barcjaipur.org

Design & Printed by : www.printmediaservices.in # 9928444666